राजस्थान सरकार
निदेशालय आयुर्वेद विभाग,राजस्थान–अजमेर
अशोक मार्ग, सावित्री चौराहा, अजमेर
E-Mail Id - fa.ayu@rajasthan.gov.in दूरभाष–**0145 2623943**

बोली संदर्भ क्रमांक–आ.मिशन/औषध क्रय/03/2019/20086 दिनांकः05.12.2019

निर्मित आयुर्वेद औषधियों के क्रय एवं आपूर्ति हेतु दर संविदा ई–बोली विज्ञप्ति वर्ष 2019–20

केवल राजकीय उपक्रमों हेतु

(दिनांक 31.12.2021 को समाप्त होने वाली अवधि तक के लिए)

बोली ऑन लाईन प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक 09.01.2020 दोपहर 1.00 बजे तक

राजस्थान सरकार
निदेशालय आयुर्वेद विभाग,राजस्थान–अजमेर
अशोक मार्ग, सावित्री चौराहा, अजमेर
E-Mail Id - fa.ayu@rajasthan.gov.in दूरभाष–0145 2623943

क्रमांकः आ.मिशन/औषध क्रय/03/2019/20086 दिनांकः 05.12.2019

दर संविदा ई–बोली(विस्तृत विज्ञप्ति)
(निर्मित आयुर्वेद औषधियों के लिए)

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से आयुर्वेद चिकित्सालयों/औषधालयों के उपयोगार्थ, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित अत्यावश्यक औषधियों की सूची के अनुसार आयुर्वेदिक औषधियों के क्रय एवं आपूर्ति हेतु, भारत सरकार के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा राज्य सरकारों के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/राजकीय रसायनशालाओं एवं अपनी स्वयं की विनिर्माण इकाईयों में निर्माण करने वाली राजकीय सहकारी संस्थानों से डब्ल्यू.एच.ओ.– जी.एम.पी./आयुष प्रीमियम धारक फर्मो से दर संविदा ई– बोली आमंत्रित की जाती हैः–

क्र. सं.	विवरण	अनुमानित मूल्य (लाखो में)	बोली फार्म का शुल्क (रू.में)	ई–टेण्डरिंग प्रोसेसिंग फीस (रू.में)		प्रस्तावित आन लाईन बोली		
					बोली फार्म डाउन लोड प्रारम्भ करने की दिनांक व समय	बोली फार्म अपलोड करने की अतिम दिनांक एवं समय	बोली प्रतिभूति राशि व अन्य दस्तावेज जमा करवाने की अन्तिम दिनांक व समय	तकनीकी आनलाईन बोली खोलने की दिनांक एंव समय
1	आयुर्वेद चिकित्सालयों/ औषधालयों के लिए निर्मित आयुर्वेदिक औषधियों की आपूर्ति	2158	5000	1000	09.12.2019 सांय 3.00 बजे से	09.01.2020 दोपहर 1:00 बजे तक	09.01.2020 सांय 5:00 बजे तक	10.01.2020 दोपहर 1:00 बजे

नोटः–

1. बोली से संबंधित समस्त विवरण/शर्ते वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in एवं http://sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है तथा बोली प्रपत्र इसी वेबसाईट से नियत तिथि से डाउनलोड किया जा सकता है। बोली से संबंधित जानकारी विभाग की वेबसाईट health.rajasthan.gov.in/ayurved पर देखी जा सकती है। ऑन लाईन बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 09.01.2020 है। प्री बिड दिनांक 23.12.2019 को प्रातः 11.00 बजे है।
2. बोली केवल ऑनलाईन ही स्वीकार की जावेगी।

ह0
निदेशक
आयुर्वेद विभाग अजमेर

राजस्थान सरकार
निदेशालय आयुर्वेद विभाग,राजस्थान–अजमेर
अशोक मार्ग, सावित्री चौराहा, अजमेर
E-Mail Id - fa.ayu@rajasthan.gov.in दूरभाष–0145 2623943

निर्मित आयुर्वेद औषधियों के क्रय व आपूर्ति हेतु दर संविदा ई–बोली

(दिनांक 31.12.2021 को समाप्त होने वाली अवधि तक के लिए)

बोली संदर्भ :– क्रमांकः आ.मिशन/औषध क्रय/03/2019/20086 दिनांकः 05.12.2019

प्री बोली बैठक दिनांक :– 23.12.2019 समय :– प्रातः 11:00 बजे
स्थान :– निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर।

बोली प्रपत्र डाउनलोड प्रारंभ करने की	:	दिनांकः– 09.12.2019
दिनांक व समय	:	समय – सांय 3.00 बजे से
ऑन लाईन बोली अपलोड की	:	दिनांकः– .09.01.2020
अन्तिम दिनांक व समय	:	समय – दोपहर 1.00 बजे तक
बोली प्रतिभूति राशि, बोली शुल्क,प्रोसेसिंग फीस दस्तावेज एवं औषध सैम्पल भौतिक रूप से जमा करवाने की अन्तिम दिनांक एवं समय		**दिनांकः– 09.01.2020 समय – सायंकाल 5.00 बजे तक**
तकनीकी ऑन लाईन बोली खोलने की दिनांक व समय	:	**दिनांकः–10.01.2020 समय** – दोपहर 1.00 बजे
बोली प्रपत्र शुल्क	:	5000/– रूपये
RISL प्रोसेसिंग शुल्क	:	.1000/– रूपये

राजस्थान सरकार
निदेशालय आयुर्वेद विभाग,राजस्थान–अजमेर
अशोक मार्ग, सावित्री चौराहा, अजमेर
E-Mail Id - fa.ayu@rajasthan.gov.in दूरभाष–0145 2623943

तकनीकी बोली प्रपत्र

(निर्मित आयुर्वेद औषधियों के लिए)

- बोली प्रपत्र डाउनलोड प्रारम्भ करने की दिनांक — दिनांक 09.12.2019 समय – सायं 3:00 बजे से
- बोली प्रपत्र अपलोड करने की अन्तिम दिनांक — दिनांक 09.01.2020 समय –दोपहर 1.00 बजे तक
- बोली प्रतिभूति राशि, बोली शुल्क, प्रोसेसिंग फीस, दस्तावेज एवं औषध सैम्पल भौतिक रूप से जमा करवाने की अन्तिम दिनांक — दिनांक 09.01.2020 समय – सायं 5.00 बजे तक
- तकनीकी बोली प्रपत्र खोलने की दिनांक — दिनांक 10.01.2020 समय – दोपहर 1:00 बजे

निर्मित आयुर्वेद औषधियों के लिए

क्रम सं	विवरण	बोलीदाता द्वारा भरी जाने वाली सूचना
1	**बोलीदाता फर्म का पूरा नाम पता** लेड लाईन फोन.न. ई–मेल.आई.डी **अधिकृत व्यक्ति का नाम (ई–बोली से संबंधित), पद मोबाईल नं.**	....
2	**औषध निर्माण से संबंधित गोदाम /निर्माणशाला की जानकारी पता प्रभारी का नाम और मोबाईल नम्बर इत्यादि (विस्तृत सूचना संलग्न करें)**	1..... ..... 2..... ..... 3..... .....
3	**बोली सम्बोधित है**	निदेशक, आयुर्वेद विभाग राजस्थान, अजमेर।
4	**सन्दर्भ**	**निर्मित आयुर्वेद औषधियों के लिए जारी दर संविदा ई–बोली सूचना** क्रमांकः आ.मिशन/औषध क्रय/03/2019/20086 दिनांकः 05.12.2019
5	**बोली शुल्क राशि** डी.डी./बैकर्स चैक नम्बर दिनांक	.5000/–(निदेशक आयुर्वेद विभाग अजमेर के नाम) .... स्कैन कर अपलोड कर दिया गया है।
6	**प्रोसेसिंग फीस राशि** डी.डी./बैकर्स चैक नम्बर दिनांक	1000/– (एम.डी.आर.आई.एस.एल. जयपुर के नाम) .... स्कैन कर अपलोड कर दिया गया है।

1. मैं/हम ..... निदेशक, आयुर्वेद विभाग राजस्थान, अजमेर द्वारा जारी की गई बोली संख्या क्रमांकः क्रमांकः आ.मिशन/औषध क्रय/03/2019/20086 दिनांकः 05.12.2019 में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न शीट मे दी गई उक्त बोली सूचना के अतिरिक्त बोली प्रपत्र मे अंकित सभी नियम व शर्तो को स्वीकार करने से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। **(इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण मे, हमने हस्ताक्षर कर दिये है।)**
2. आपूर्ति किये जाने वाली निर्मित औषधी का विवरण बोली प्रपत्र के साथ संलग्न अनुलग्नक– 1 में वर्णित है। विभागीय आवश्यकता के अनुसार औषधियों की मात्रा का आकलन करने के उपरान्त समय–समय पर औषधि आपूर्ति आदेश दिये जा सकेंगे। न्यूनतम क्रय की मात्रा की गारंटी नहीं है।
3. फर्म द्वारा आदेश प्राप्त करने की दिनांक से निर्धारित अवधि 60 दिवस की अवधि के भीतर बोली नियम, शर्तों एवं आदेशों के अनुसार औषधियों की सुपुर्दगी कर दी जावेगी।
4. उद्धृत की गयी दरें वित्तीय बोली खोलने की दिनांक से 90 दिन तक निर्णय हेतु मान्य है।
5. बोली शर्तो पर हस्ताक्षर किये जाकर, अन्य आवश्यक सभी दस्तावेजों की मूल/प्रमाणित प्रति स्कैन कर अपलोड कर दिए गए है।
6. **फर्म के भागीदारों एवं चल/अचल सम्पत्ति आदि का पूर्ण विवरणः– (स्थान कम होने पर अलग से सूचना संलग्न की जा सकती है)**

क. बोलीदाता फर्म, राज्य/केन्द्र सरकार का उपक्रम/फार्मेसी/राजकीय रजिस्टर्ड को–ऑपरेटिव समिति/संस्था है। .....

ख. फर्म के मालिक/निदेशक/सचिव/प्रबन्धक आदि का विवरण इस प्रकार है :–

क्र.स	नाम	पद	पता	फोन नम्बर
1				
2				
3				

ग. फर्म के निम्न भागीदार है :–

क्र.	नाम	विवरण	पता	फोन न.
1				
2				
3				

घ. फर्म की चल सम्पति का विवरण इस प्रकार हैः–

क्र.सं.	खाता जिसके नाम से संचालित है, का विवरण	बैंक का नाम मय शाखा का नाम	बैंक खाता संख्या	खाते में जमा राशि
1				
2				
3				

अन्य चल सम्पत्तिः– .....

ड़. फर्म की अचल सम्पति का विवरण इस प्रकार है :–

क्रं सं.	सम्पत्ति का पूर्ण विवरण	सम्पत्ति कहॉ स्थित है	सम्पति का अनुमानित बाजार मूल्य
1			
2			
3			

च. क्या फर्म कभी भी केन्द्रीय/राज्य सरकार/अन्य संस्थान द्वारा काली/विवर्जित सूची (Black/Debar List) में डाली गई है हॉ/नहीं .....

यदि हॉ तो पूर्ण विवरण अंकित करे :–

.....

7. तकनीकी बोली में निम्न विवरणानुसार प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र/सहमति पत्र/डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक की प्रति जो कि अधिकृत व्यक्ति द्वारा स्व–प्रमाणित कर स्कैन कर अपलोड करनी होगी। अपलोडिंग के दौरान कोई तकनीकी समस्या होने के फलस्वरूप यदि कोई दस्तावेज अपलोड होने से रह जाता है, तो इसके लिए निदेशक,

आयुर्वेद विभाग राजस्थान, अजमेर उत्तरदायी नहीं होगें एवं फर्म को तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित किया जा सकेगा।

क्रं. सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या (..... से.....
1	फर्म/संस्था का भारत सरकार/राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होने अथवा राजकीय रसायनशाला होने या राजकीय रजिस्टर्ड कॉ–ऑपरेटिव क्षेत्र की संस्था होने संबंधी दस्तावेज, जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हो, की प्रति। **साथ ही बोली प्रतिभूति राशि छूट हेतु घोषणा मय प्रमाण पत्र। (संलग्नक– क)**	
2	कम्पनी/फर्म/संस्था/सोसायटी के मेमोरेन्डम/संविधान व रजिस्ट्रेशन की प्रति।	
3	विनिर्माण अनुज्ञापत्र (Manufacturing Licence) मय अद्यावधि नवीनीकरण प्रमाण पत्र फार्म 25–डी में एवं फर्म जिस राज्य से संबंधित है, उस राज्य के औषधि नियन्त्रण प्राधिकारी (Drug Controlling Authority) /अनुज्ञापन अधिकारी (Licencing Authority) द्वारा प्रत्येक औषधि के निर्माण के लिए जारी उत्पाद–अनुमति प्रमाण पत्र (Product Permission) की प्रति। **(लोन लाईसेन्स स्वीकार्य नहीं होगा)**	
4	अद्यतन जारी डब्ल्यू.एच.ओ. – जी.एम.पी./आयुष प्रीमियम मार्क प्रमाण–पत्र की प्रति एवं औषध उत्पादों की सूची। (संलग्नक–द)	
5	निर्माता के पास रसायनशाला में औषध परीक्षण प्रयोगशाला (Drug Testing Laboratory) होने संबंधी घोषणा पत्र/दस्तावेज की प्रति। **(यदि हो तो)**	
6	उद्योग विभाग द्वारा अद्यतन जारी लाईसेन्स की प्रति।	
7	बोलीदाता द्वारा स्वयं औषध निर्माता होने का घोषणा पत्र। **(संलग्नक –ख)**	
8	विगत तीन वर्षो (2016–17, 2017–18 एवं 2018–19) में केवल आयुर्वेदिक औषधियों का औसतन टर्न ओवर बोली मूल्य राशि की एक तिहाई राशि अर्थात **रूपये 7.20 करोड** से कम न हो। इस हेतु सी.ए. द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति। **(संलग्नक –ग)**	
9	रूपये 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर किसी भी राज्य/केन्द्र सरकार/उपक्रम में विगत तीन वर्षो में काली /विवर्जित सूची में (Black/Debar List) न डाले जाने के संबंध में शपथ पत्र नोटरी द्वारा सत्यापित। **(संलग्नक –घ)**	
10	औषधि नियंत्रक द्वारा जारी नॉन कन्विक्शन **(NON– CONVICTION)** प्रमाण पत्र जो बोली जारी होने की तिथि से छः माह से अधिक पुराना न हो।	
11	बोली फार्म शुल्क व प्रोसेसिंग फीस के डी.डी./बैंकर्स चैक की प्रति। **मूल डी.डी व बैंकर्स चैक, बिन्दु संख्या–1 के अंतर्गत वांछित घोषणा तथा मूल शपथ पत्र तथा बिन्दु संख्या 9, 20, 28 एवं 30 के अनुसार वांछित दस्तावेज, बोली प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक 09.01.2020 को सायं 5:00 बजे तक निदेशालय आयुर्वेद कार्यालय में भौतिक रूप से प्राप्त होना आवश्यक है।**	
12	राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (RTTP) अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के हस्ताक्षरित A,B,C,D एनेक्सर। **(संलग्नक –ड.)**	
13	ड्रग एवं कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एवं नियम 1945 के प्रावधानों के अनुसार फर्म द्वारा विगत तीन वर्षो में निर्मित की गई औषधियों के संबंध में कच्ची औषधियों की क्रय संबंधी गत तीन वर्षो के अभिलेख **(Schedule-TA)** की संबंधित राज्य के औषधी नियंत्रक से प्रमाणित प्रति। (प्रत्येक औषधि का अलग–अलग विवरण अंकित करें)	
14	निर्माता द्वारा विगत तीन वर्षो (2016–17, 2017–18 एवं 2018–19) से निरन्तर औषध निर्माण एवं विपणन करने संबंधी प्रमाण पत्र (Batch Manufacturing & Marketing Certificate) जो कि उस राज्य के औषधि नियन्त्रण प्राधिकारी (Drug Controlling Authority) /अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो।	
15	संस्था द्वारा औषध निर्माण/औषध प्रयोगशाला में वर्तमान में आवश्यक सभी विधि सम्मत प्रावधानों का पालन किए जाने संबंधी घोषणा –पत्र।**(संलग्नक– च)**	
16	गत तीन वर्षो (2016–17, 2017–18 एवं 2018–19) की सनदी लेखाकार (सी.ए.) द्वारा जारी फर्म की अंकेक्षण प्रतिवेदन **(Audit Report)** की प्रति, मय लाभ–हानि लेखा एवं बैलेंस शीट की प्रति।	
17	बोली, बोली प्रपत्र, बोली की समस्त नियम व शर्तों से सहमत होने की घोषणा पत्र। **(संलग्नक– छ)**	

18	फर्म जिस निर्मित औषधि की बोली में हिस्सा ले रही है, उस औषधी का निर्माण कर एफ.ओ. आर. आपूर्ति हेतु बोलीदाता का घोषणा पत्र।**(संलग्नक –ज)**	
19	ई–बोली फार्म अपलोड करने की अंतिम दिनांक तक उपलब्ध आयुर्वेदिक औषधि निर्मित स्टॉक की जानकारी के प्रपत्र। **(संलग्नक–ध)**	
20	बोली के लिये प्रोपराईटर के अलावा यदि अन्य व्यक्ति को अधिकृत किया गया हो तो पावर ऑफ अटार्नी, जो कि बोली जारी होने की तिथि के पश्चात् हस्ताक्षरित किया गया हो एवं नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित हो की मूल प्रति अंतिम **दिनांक 09.01.2020 को सायं 5:00 बजे तक कार्यालय में भौतिक रूप से प्राप्त होना आवश्यक है।**	
21	औषधियों का निर्माण भारत सरकार द्वारा निर्धारित अत्यावश्यक औषधियों की सूची (ई.डी.एल.) में उल्लेखित सन्दर्भो के अनुसार ही किए जाने बाबत घोषणा–पत्र। **(संलग्नक –झ)**	
22	मानकों के अनुरूप गुणवत्ता न पाये जाने पर आपूर्ति की गई औषधियों को अपने निजी व्यय पर वापस प्राप्त करने संबंधी स्वघोषित प्रमाण पत्र। **(संलग्नक– ञ)**	
23	औषधियों की आपूर्ति, आपूर्ति आदेश में दर्शाये गये समय के अनुसार करने व पेनल्टी राशि संबंधी स्वघोषित प्रमाण पत्र। **(संलग्नक –ट)**	
24	बोलीदाता द्वारा जो मूल्य भरा गया है, इससे कम दर पर निर्मित औषधि की आपूर्ति अनुबन्ध अवधि के दौरान किसी अन्य को नहीं किए जाने के आशय का घोषणा पत्र। **(संलग्नक –ठ) इस आशय के प्रमाण पत्र का अंकन औषध आपूर्ति पश्चात् प्रस्तुत किए जाने वाले बिलो पर भी करना अनिवार्य होगा।**	
25	फर्म के नाम जारी पेन कार्ड की प्रति।	
26	जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं विगत तीन वर्ष के दौरान जमा करवाई गई Exise Duty/ GST के चालानो की प्रतियां। **(संलग्नक –ड)**	
27	राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के सेक्शन 7 (2) एवं 11 के अन्तर्गत शपथ–पत्र **(संलग्नक –ढ.)**	
28	फर्म का कोई भी उत्पाद विगत तीन वर्ष के दौरान किसी भी राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/उनके किसी उपक्रम द्वारा अवमानक घोषित नहीं होने संबंधी शपथ पत्र रूपये 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एवं नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित। **(संलग्नक–ण)** मूल प्रति अंतिम दिनांक 09.01.2020 को सांय 5.00 बजे तक कार्यालय में भौतिक रूप से प्राप्त होना आवश्यक है।	
29	फर्म द्वारा वर्ष 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 में केन्द्र/राज्य सरकारो के विभागों/उपक्रमों में सफलतापूर्वक एवं संतोषजनक आपूर्ति करने संबंधित प्रमाण पत्र न्यूनतम 5 (सभी वर्षो के) प्रमाण पत्र **(Performance Certificate)** मय आपूर्ति आदेश की प्रति। **(संलग्नक– त)**	
30	मैं/हम घोषणा करते है कि मैने/हमने जिन निर्मित औषधि हेतु बोली दी है, उनके संबंध में उक्त बिन्दु संख्या 1 से 29 तक में संलग्न किए गये सभी घोषणा पत्र /प्रमाण पत्र/अन्य सूचना सत्य एवं पूर्णतया सही है। इनमें किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं है और न ही कोई कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया है। यदि ऐसा पाया जाता है, तो बिना किसी न्यायिक कार्यवाही एवं अन्य कोई कार्यवाही किये बिना मेरी/हमारी बोली जो स्वीकृत की गई है, उसे रदद् कर दी जावे एवं हमारे विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए निदेशक आयुर्वेद विभाग स्वतंत्र है। यह शपथ पत्र 500/– रू के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित करवाकर स्केन कर अपलोड करना होगा। **(संलग्नक– थ)**	

नोट :– उक्त तालिका के बिन्दु संख्या 11 के तहत वर्णित दस्तावेज मूल रूप से दिनांक 09.01.2020 को सायं 5.00 बजे तक निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर कार्यालय में जमा करवाना आवश्यक है। इसके अभाव में फर्म की तकनीकी बोली नहीं खोली जावेगी। बोली शर्त संख्या 50 के तहत चाहे गये दस्तावेज स्कैन कर अपलोड किया जाना आवश्यक है। यदि इन दस्तावेजों को अपलोड नहीं किया जाता है तो फर्म को तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित किया जा सकेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय सील
नाम व पता मय दूरभाष

राजस्थान सरकार
निदेशालय आयुर्वेद विभाग,राजस्थान–अजमेर

अशोक मार्ग, सावित्री चौराहा, अजमेर

E-Mail Id - fa.ayu@rajasthan.gov.in दूरभाष–0145 2623943

ई–बोली से सम्बन्धित नियम, शर्ते एवं सूचना

1. बोली प्रपत्रों को वेबसाईट **http://eproc.rajasthan.gov.in/ sppp.rajasthan.gov.in एवं** health.rajasthan.gov.in/ayurved में से किसी भी वेबसाईट से डाउनलोड किया जा सकता है। इस बोली मे भाग लेने वाले बोलीदाता बोली को इलेक्ट्रोनिक फॉरमेट मे वेबसाईट **http://eproc.rajasthan.gov.in** पर जमा करावें।
2. बोलियॉ ई–प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक 09.01.2020 दोपहर 1.00 बजे तक है। बोली भौतिक रूप से स्वीकार नहीं होगी।
3. तकनीकी बोली दिनांक 10.01.2020 दोपहर 1.00 बजे निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर में खोली जायेगी।
4. सशर्त बोली स्वीकार नहीं होगी।
5. बोली के 2 इलेक्ट्रोनिक लिफाफे होगें:– (1) तकनीकी बोली (2) वित्तीय बोली।
6. तकनीकी बोली में वांछित दस्तावेजों की प्रतियां, जो कि अधिकृत व्यक्ति द्वारा स्व–प्रमाणित हो, स्कैन कर अपलोड करनी होगी।
7. वित्तीय बोली भरने से पूर्व बोलीदाता यह सुनिश्चित कर ले कि, **अनुलग्नक–1** में वर्णित औषधी व उसकी आदेशित मात्रा को निर्धारित समय में निदेशालय द्वारा दिए गऐ आपूर्ति आदेश के अनुसार आपूर्ति के लिए सक्षम है तथा अनुलग्नक– 2 में वर्णित किटों की संख्या के अनुसार चाहे गये स्थान पर आपूर्ति करने हेतु सक्षम है।
8. वित्तीय बोली (बोली दर) के द्वितीय इलैक्ट्रोनिक लिफाफे में बोली दरें ऑनलाईन निर्धारित प्रारूप (**बी.ओ.क्यू.**) मे प्रत्येक निर्मित औषधि की प्रति पैकिंग यूनिट दर अंकित की जानी है अर्थात प्रति इकाई दर देनी है।
9. आपूर्ति की गई औषधी यदि निर्धारित मानदण्ड के अनुरूप नहीं पाई जाती है, तो बोलीदाता स्वयं के खर्चों पर उसे उठायेगा एवं उसके स्थान पर मानको के अनुरूप औषधि की आपूर्ति सूचित करने की दिनांक से 15 दिवस में आपूर्ति करेगा। यदि फिर भी निर्मित औषधि निर्धारित मानक के अनुरूप उपलब्ध नहीं करवाता है, तो ई–बोली शर्तो के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी एवं बोलीदाता से परिनिर्धारित क्षति आरोपित कर नियमानुसार वसूली की जावेगी।
10. बोली प्रपत्रो हेतु आवेदन/डाउनलोड **दिनांक 09.12.2019 सांय 3.00 बजे से** किया जा सकता है।
    (अ) बोली प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फारमेट में वेबसाईट **http://eproc.rajasthan.gov.in** पर दिनांक **09.01.2020 दोपहर 1.00 बजे** तक जमा करवाये जा सकते है। प्राप्त तकनीकी बोलीयॉ इलेक्ट्रोनिक फारमेट में वेबसाईट **http://eproc.rajasthan.gov.in** पर निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर के कार्यालय मे दिनांक **10. 01.2020 दोपहर 1.00** बजे ऑन लाईन खोली जावेंगी। (बोलीदाता चाहे तो उपस्थित रह सकता है।)
    (ब) यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है, तो अगले कार्य दिवस पर उसी समय बोलियां खोली जावेंगी।
    (स) बोली से सम्बन्धित समस्त प्रक्रिया ऑनलाईन होगी। सूचना ई–मेल से दी जावेगी। ई–मेल से दी गई सूचना मान्य होगी।
    (द) बोली खोलने की तिथि को किसी कारणवश यदि सारी बोलियां नहीं खोली जा सकती हैं, तो अगले कार्य दिवस मे शेष बोलियां खोलने का कार्य जारी रहेगा ।
    (य) तकनीकी बोलियों में से सफल घोषित बोलीदाताओं की **वित्तीय बोली प्रपत्र** इलेक्ट्रोनिक फारमेट मे वेबसाईट **http://eproc.rajasthan.gov.in** पर निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर कार्यालय मे खोली जावेगी। जिसके लिए निर्धारित समय एवं दिनांक बाबत् सूचना सफल बोलीदाताओ को ई–मेल से दी जावेगी। ई–मेल से दी गई सूचना मान्य होगी।
11. बोली प्रपत्रो मे बोलीदाता के लिए अपेक्षित पात्रता कसौटी (Eligibility Criteria) तथा बोलीदाता की पात्रता, स्पेसिफिकेशन, मानक पैकिंग का विवरण, नियम एवं शर्तें बोली प्रपत्र में यथास्थान पर वर्णित है।
12. बोलीदाता द्वारा बोली प्रपत्र शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के साथ निम्नांकित मूल दस्तावेज भौतिक रूप से **निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर के कार्यालय मे दिनांक 09.01.2020 सांय 5:00 बजे तक जमा कराना आवश्यक है :–**

(अ) तकनीकी बोली के बिन्दु संख्या 7 की तालिका के क्रम संख्या 1 पर अंकित बोली प्रतिभूति राशि छूट हेतु घोषणा शपथ पत्र। (संलग्नक– क)

(ब) तकनीकी बोली के बिन्दु संख्या 7 की तालिका के क्रम संख्या 9 के अनुसार किसी भी राज्य/केन्द्र/उपक्रम में काली/विवर्जित सूची में (Black/ Debar List) न डाले जाने के संबंध में रूपये 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र जो कि नॉटेरी से प्रमाणित हो।

(स) तकनीकी बोली के बिन्दु संख्या 7 की तालिका के क्रम संख्या 11 के अनुसार बोली फार्म शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस के बैंकर चैक/डी.डी.।

(द) तकनीकी बोली के बिन्दु संख्या 7 की तालिका के क्रम संख्या 20 के अनुसार पावर ऑफ अटार्नी।

(य) तकनीकी बोली के बिन्दु संख्या 7 की तालिका के क्रम संख्या 28 के अनुसार विगत तीन वर्षो में कोई भी उत्पाद अवमानक घोषित नहीं होने संबंधित शपथ पत्र।

(र) तकनीकी बोली के बिन्दु संख्या 7 की तालिका के क्रम संख्या 30 के अनुसार रूपये 500 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर घोषणा पत्र जो नोटेरी से प्रमाणित हो।

उक्त वांछित दस्तावेज निर्धारित समय तक प्राप्त नहीं होने पर बोली खोली जाना संभव नहीं होगा, डाक/अन्य कारणों से निर्धारित समय तक डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/वांछित दस्तावेज प्राप्त नहीं होते है तो उसके लिए निदेशालय जिम्मेदार नहीं होगा।

13. उद्धृत की गयी दरें वित्तीय बोली खोलने की दिनांक से 90 दिन तक निर्णय हेतु मान्य है। यदि बोलीदाता उस अवधि मे अपनी बोली अथवा शर्तों मे किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी बोली वापस लेता है, तो नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

14. **किसी भी बोली को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार निदेशक आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर के पास सुरक्षित है। बोली किसी भी स्तर पर, किसी भी कारण से निरस्त की जा सकती है।**

15. बोलीदाता को वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर स्वयं को रजिस्टर्ड करवाना होगा। ऑनलाईन बोली मे भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट, **इनफोरमेशन टेक्नोलोजी एक्ट– 2000** के तहत प्राप्त करना होगा, जो इलेक्ट्रोनिक बोली मे **डिजिटल साईन** करने हेतु काम आयेगा। बोलीदाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सीसीए द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन बोलीदाताओ के पास पूर्व मे वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है, उन्हें नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नही है।

1. बोलीदाताओ को बोली प्रपत्र इलैक्ट्रोनिक फारमेट मे उपरोक्त वेबसाईट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा, जिनके प्रस्ताव डिजिटल साईन के साथ नही होगें, उनके प्रस्ताव स्वीकार नही किये जावेगे। कोई भी प्रस्ताव व्यक्तिगत/भौतिक बोली प्रपत्र मे स्वीकार्य नही होगा।
2. ऑन लाईन बोलियां निर्धारित दिनांक एवं समय के अनुसार खोली जावेगी।
3. इलेक्ट्रोनिक बोली प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व बोलीदाता यह सुनिश्चित कर लेवे कि बोली प्रपत्रों से सम्बन्धित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी बोली प्रपत्रों के साथ संलग्न कर दी गई है। ऑनलाईन प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों के अतिरिक्त कोई भी दस्तावेज व्यक्तिगत/भौतिक रूप से स्वीकार नहीं किये जावेंगें। कोई भी बोली इलेक्ट्रोनिकली जमा कराने में किसी कारण से विलम्ब हो जाता है एवं अपलोड नहीं हो पाते है तो इसके लिए निदेशालय आयुर्वेद जिम्मेदार नहीं होगा।
4. बोली प्रपत्रो के अनुसार चाहे गये आवश्यक दस्तावेज एवं सूचियों को चाहे अनुसार पूर्ति कर ऑनलाईन अपलोड करेंगे।
5. असुविधा से बचने के लिये कृपया आवेदन हेतु अंतिम दिनांक की प्रतीक्षा नहीं करें ।
6. समस्त आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ही करें ।
7. बोली फार्म शुल्क राशि 5000/–रू0 का **डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर** के नाम से अजमेर मे भुगतान योग्य होना चाहिए।
8. प्रोसेसिंग फीस 1000/–रू0 का **डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक M.D., R.I.S.L. Jaipur** के पक्ष में जयपुर में भुगतान योग्य होना चाहिए।
9. बोलीदाता से अपेक्षित है कि ऑन लाईन ई–बोली प्रस्तुत करने से पूर्व सम्पूर्ण बोली प्रपत्र एवं शर्तो इत्यादि का भली–भांति अध्ययन कर ले, इस संबंध में किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण/ प्रावधानों की स्पष्टता एवं व्याख्या के लिए प्री – बिड बैठक दिनांक 23.12.2019 को प्रातः 11.00 बजे में उपस्थित होकर संशय निवारण हेतु लिखित में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। विभाग किसी भी प्रकार के लिखित स्पष्टीकरण देने हेतु बाध्य नहीं है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
अधिकृत प्रतिनिधि/स्वंय प्रोप्राईटर
मय सील
पूरा नाम पता :–
अधिकृत प्रतिनिधि/स्वंय प्रोप्राईटर (जो लागू नहीं हो काट दे)

निदेशक
आयुर्वेद विभाग अजमेर

राजस्थान सरकार
निदेशालय आयुर्वेद विभाग,राजस्थान–अजमेर
अशोक मार्ग, सावित्री चौराहा, अजमेर
E-Mail Id - fa.ayu@rajasthan.gov.in दूरभाष–0145 2623943

औषधि आपूर्ति की बोली एवं बोली की सामान्य शर्ते

(1) निर्मित आयुर्वेद औषधियों की आपूर्ति :–

1. बोली में अंकित निर्मित औषधी, फर्म द्वारा तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत किये गये औषधी के नमूने के अनुसार सप्लाई करनी होगी।
2. बोली में अंकित औषधी किटों की उल्लेखित/आदेशित मात्रा के अनुसार आपूर्ति निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान अजमेर के निर्देशों/आदेश के अनुसार करनी होगी। अपूर्ण/आंशिक आपूर्ति स्वीकार योग्य नही होगी।
3. बोलीदाता द्वारा आपूर्ति की गई औषधियां उसके द्वारा प्रस्तुत किये गये औषध नमूने के अनुसार नहीं पाये जाने पर आपूर्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।
4. अस्वीकृत औषधि को नमूने के अनुसार निर्धारित आपूर्ति सूचित करने की दिनांक से 15 दिवस में बदल कर देना होगा। यदि फिर भी औषधि अनुमोदित नमूने के अनुसार उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो उस औषधि की आपूर्ति अस्वीकार कर दी जावेगी व निविदा शर्तो के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
5. भिन्न नाम से औषधि व भिन्न पैकिंग स्वीकार्य नहीं होगी।

(2) क्रय की जाने वाली विषय वस्तु के नमूनेः –

बोलीदाता द्वारा जिन निर्मित औषधियों के लिए दरें वित्तीय बोली (बी.ओ.क्यू.) में दी गई है, उनके 06–06 नमूने ई–बोली प्रपत्र में निर्धारित पैकिंग एवं ड्रग एण्ड कोस्मेटिक एक्ट 1940 एवं नियम 1945 के अनुसार लेबलिंग कर (जैसा की पैकिंग में उनके द्वारा आपूर्ति की जानी है) उन्हें एक कार्टन में सील पैक कर, उस पर औषधियों का नाम व विवरण तथा फर्म का नाम अंकित कर तकनीकी बोली हेतु भौतिक रूप से दस्तावेज प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि एवं निर्धारित समय तक निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर के कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक नमूने पर बोलीदाता द्वारा अपने हस्ताक्षर करने होगें। नमूने जमा करवाने की पावती मय दिनांक निदेशालय से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(3) ई–बोली के माध्यम से बोली प्रस्तुत करना :–

बोलीयॉ ई–प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से बोली विज्ञप्ति के अनुसार ऑनलाईन प्रस्तुत की जावेगी। दर संविदा ई–बोली विज्ञप्ति मे अंकित दिनांक एवं समय पर निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर मे उपस्थित बोलीदाताओं (यदि कोई उपस्थित हो) के समक्ष ऑनलाईन खोली जावेगी। बोली सम्बन्धी सभी सूचनाऐं ई–मेल से दी जावेगी, जो मान्य होगी।

(4) बोली ई–प्रोक्योरमेन्ट से स्वीकार करनाः–

केवल उन्ही बोलियों पर विचार किया जावेगा, जो बोली सूचना मे दिये गये निर्देशो के अनुसार उचित रूप से ई–प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से भरी होगी तथा निम्नांकित मूल दस्तावेज एवं औषधियों के नमूने दिनांक 09.01.2020 सायं 5:00 बजे से पूर्व अनिवार्य रूप से निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर कार्यालय में जमा करवा दिये गये होगें। इसके अभाव मे तकनीकी बोली नही खोली जावेगी।

(अ) तकनीकी बोली के बिन्दु संख्या 7 की तालिका के क्रम संख्या 1 पर अंकित बोली प्रतिभूति राशि छूट हेतु घोषणा शपथ पत्र। (संलग्नक– क)

(ब) तकनीकी बोली के बिन्दु संख्या 7 की तालिका के क्रम संख्या 9 के अनुसार किसी भी राज्य/केन्द्र/उपक्रम में काली/विवर्जित सूची में (Black/ Debar List) न डाले जाने के संबंध में रूपये 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र जो कि नॉटेरी से प्रमाणित हो।(संलग्नक– घ)

(स) तकनीकी बोली के बिन्दु संख्या 7 की तालिका के क्रम संख्या 11 के अनुसार बोली फार्म शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस के बैंकर चैक/डी.डी.।

(द) तकनीकी बोली के बिन्दु संख्या 7 की तालिका के क्रम संख्या 20 के अनुसार पावर ऑफ अटार्नी।

(य) तकनीकी बोली के बिन्दु संख्या 7 की तालिका के क्रम संख्या 28 के अनुसार विगत तीन वर्षो में कोई भी उत्पाद अवमानक घोषित नहीं होने संबंधित शपथ पत्र।(संलग्नक– ण)

(र) तकनीकी बोली के बिन्दु संख्या 7 की तालिका के क्रम संख्या 30 के अनुसार रूपये 500 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर घोषणा पत्र जो नोटेरी से प्रमाणित हो। (संलग्नक– थ)

(5) **क्रय हेतु सक्षम अधिकारीः–** क्रय समिति द्वारा स्वीकृत दरों पर बोली फार्म में अंकित औषधियों के लिये क्रय आदेश जारी करने हेतु निदेशक, आयुर्वेद विभाग राजस्थान, अजमेर अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी प्राधिकृत होगें।

(6) **निर्मित औषधि के लिए एक ही वित्तीय दरें अंकित करना एवं औषधियां की आपूर्ति :–**

सामग्री की आपूर्ति बोलीदाता को स्वयं के खर्चे पर 4 रसायनशालाओं अजमेर,भरतपुर,जोधपुर, उदयपुर पर कार्यादेश के अनुसार करना होगा अर्थात एफ.ओ.आर. उक्त 4 रसायनशालाएं होगी। अतः बोलीदाता प्रत्येक निर्मित औषधि की आपूर्ति की प्रति इकाई दर वित्तीय बोली में उक्त को ध्यान में रखते हुए ऑनलाईन अंकित करें।

(1) दरें सभी प्रकार के खर्चो जैसे भाड़ा, पैकिंग, मजदूरी, चुंगी एवं अन्य कर आदि सहित अंकित की जावें, किन्तु सी.जी.एस.टी. एवं एस.जी.एस.टी. को सम्मिलित नहीं किया जावे, जी.एस.टी. की राशि अलग से निर्धारित कॉलम में ही अंकित करे।

(2) निर्मित औषधि को 4 रसायनशालाओं अजमेर, भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर पर पहुॅचाने का समस्त खर्चा बोलीदाता को वहन करना होगा।

(3) माल पहुॅचाने व उतरवाने का उत्तरदायित्व बोलीदाता का होगा।

(4) यदि बोलीदाता वित्तीय बोली मे ऑनलाईन दरों के साथ किसी प्रकार का कर (जी.एस.टी.) का निधारित कांलम में अंकन नहीं करता है, तो दरें कर सहित मानी जावेगी। वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन RTTP Rule 2013 के नियम 64 व 67 के अनुसार होगा।

(5) अनुलग्नक–1 में अंकित औषधियों के किट अनुलग्नक–2 के अनुसार बनाये जाने एवं उन्हें निर्धारित 4 रसायनशालाओं अजमेर, भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर पर सुरक्षित पहुॅचाने, पैकिंग, बीमा व अन्य खर्चे आदि सभी बोलीदाता को वहन करने होगें। इसके लिए आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर द्वारा कोई खर्चा/क्षतिपूर्ति पृथक से देय नहीं होगी।

(6) सभी रसायनशालाओं पर आपूर्ति की गई औषधियों के प्रत्येक बैच के 2 नग सैम्पल टेस्टिंग की दृष्टि से अतिरिक्त आपूर्ति करने होगें। इसका कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।

(7) **अनुमोदित दरों की वैधता :–**

बोलीदाता द्वारा बोली में दी गई दरें अनुमोदन पश्चात दिनांक 31.12.2021 तक वैध होगी। इस अवधि में आपूर्ति आदेश एक साथ अथवा विभाजित कर एक से अधिक बार विभाग की आवश्यकतानुसार एवं सुविधानुसार दिया जा सकेगा एवं बोलीदाता बोली में दी गई दरों पर अनुबंध/आपूर्ति करने को बाध्य होगा। अन्यथा बोली शर्त संख्या **20 (बीस)** के अनुसार कार्यवाही की जावेगी। अनुबंध हो जाने के पश्चात स्वीकृत दरो की वैधता **शर्त संख्या 8** से नियंत्रित होगी।

(8) **बोली की अवधि :–**

अनुमोदित/स्वीकृत दरो की वैधता अवधि दिनांक से 31.12.2021 तक मान्य होगी। यदि किसी कारणवश आगामी बोली स्वीकृत नहीं हो पाती है तो केन्द्रीय भण्डार क्रय समिति के अनुमोदन पर क्रय अधिकारी द्वारा अनुबन्ध अवधि को तीन माह के लिए उन्हीं दरों एवं शर्तो पर बढाई जा सकती है।

(9) **बोली के साथ बोली विज्ञप्ति के अनुसार तैयार डी.डी./बैकर्स चैक स्केन कर अपलोड करना :–**

बोली विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क एवं आर.आई.एस.एल. प्रोसेसिंग शुल्क पृथक–पृथक किसी एक प्रारूप में ई–बोली भरते वक्त स्केन कर अपलोड करना अनिवार्य है। उक्त के अभाव में प्राप्त बोली पर कोई विचार नही किया जावेगा। बोली प्रपत्र शुल्क राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर के नाम से ही स्वीकार्य होगा तथा प्रोसेंसिग शुल्क राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक प्रबंध निदेशक, आर.आई.एस.एल जयपुर के नाम से ही स्वीकार्य होगा।

नोटः– विभाग मे किसी बोलीदाता की पूर्व में जमा बोली राशि/सुरक्षा राशि अथवा अन्य बकाया राशि का समायोजन इस बोली की सुरक्षा राशि हेतु समायोजित नही किया जावेगा।

बोली सुरक्षा राशि के स्थान पर बोली प्रतिभूति से मुक्ति घोषणा पत्र, राज्य सरकार के विभागों, सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित या प्रबंधित उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसायटियों, सहकारी सोसायटियों ओर केन्द्र सरकार या राजस्थान सरकार के उपक्रमो और कम्पनियों से लिया जावेगा।

(10) **निर्धारित विवरण एवं नमूने के अनुसार ही सामग्री की आपूर्ति करना तथा आपूर्ति की गई औषधियों के नमूने संग्रहित करना एवं प्रयोगशाला में जांच करवाने की प्रक्रिया :–**

बोली प्रपत्र **अनुलग्नक– 1** में उल्लेखित निर्मित औषधि की आपूर्ति आदेशित मात्रा के अनुसार संबंधित 4 रसायनशालाओं अजमेर, भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर में करनी होगी। जिसके लिए किसी प्रकार का परिवहन

व्यय अलग से देय नही होगा। किसी सामग्री में लाईसेंस अथवा प्रमाण पत्र आवश्यक होने की स्थिति में सक्षम स्तर से अधिकृत लाईसेंस/प्रमाण पत्र लेने का उत्तरदायित्व बोलीदाता का होगा।

1. **बोलीदाता द्वारा वित्तीय बोली में जिन औषधियों की दरें प्रस्तुत की गई है, उन औषधियों के छः–छः नमूने ई–बोली प्रपत्र में निर्धारित पैकिंग तथा ड्रग एवं कास्मेटिक एक्ट 1940 एवं नियम 1945 के नियम के अनुसार लेबलिंग करते हुए अलग–अलग पैकिंग सहित सील बन्द कार्टन में, जिस पर औषधियों की सूची चस्पा हो, तकनीकी बोली खोलने हेतु भौतिक रूप से दस्तावेज प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि एवं निर्धारित समय तक निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान, अजमेर में जमा कराना अनिवार्य होगा। नमूने ड्रग एवं कास्मेटिक एक्ट 1940 एवं नियम 1945 के अनुसार नहीं होने पर उसको तकनीकी बिड से असफल घोषित किया जावेंगा। बोली दाता द्वारा जिन औषधियों के नमूने प्रस्तुत नहीं किये जाऐंगे/जिसकी पैकिंग एवं लैबलिंग निविदा शर्तों के अनुसार नहीं होगी, उसे उक्त औषधि के संबंध में प्रस्तुत वित्तीय बोली पर विचार नहीं किया जाऐगा।** जिस बोलीदाता की बोली अस्वीकार हो जाती है, तो उसके द्वारा उक्त औषधियों के नमूने तकनीकी मूल्यांकन के 01 माह के अंदर वापस लिये जा सकेंगे, इसके पश्चात उनकी वापसी का कोई दावा स्वीकार नहीं होगा।
2. बोलीदाता यह सुनिश्चित करे कि आपूर्ति की जाने वाली निर्मित औषधि निर्धारित मापदण्डों, पैकिंग, लैबलिंग व नमूने के अनुसार हो। यदि मापदण्डो एवं प्रस्तुत नमूने के अनुसार नहीं पाई जाती है, तो उसकी आपूर्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।
3. परिवहन के दौरान किसी प्रकार के नुकसान से बचाव आदि को ध्यान में रखते हुए उचित मजबूत पैकिंग मे औषधियों की आपूर्ति करनी होगी। पैकिंग व्यय अलग से देय नही होगा।
4. आपूर्ति की गई निर्मित औषधियों के प्रत्येक बैच में से सप्लाई/वितरण/स्टोरेज पोईन्ट से जांच हेतु बैचवार सैम्पल लिए जावेगें तथा इनकी जांच क्रेता अधिकारी द्वारा आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राजकीय/राजकीय मान्यता प्राप्त एवं एन.ए.बी.एल. अधिस्वीकृत सूचीबद्ध प्रयोगशाला से करवाई जावेगी, जिसका समस्त व्यय आपूर्तिकर्ता (बोलीदाता) को वहन करना होगा। उपापन संस्था द्वारा करवाई गई औषधियों की जॉच रिपोर्ट मानको के अनुरूप नहीं पाई जाती है तो संबंधित फर्म द्वारा अवमानक औषधियों को वापस लेना होगा तथा उतनी ही मात्रा की मानक औषधियां संबंधित स्थानों पर आपूर्ति करनी होगी। इस पर होने वाले व्यय का कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा। जांच रिपोर्ट के परिणामों के आधार पर ही नियमानुसार भुगतान किया जा सकेगा। **औषधि अवमानक पाई जाने पर बोली प्रपत्र की शर्तो के अनुसार कार्यवाही की जावेगी। निदेशालय स्तर से प्रयोगशाला से करवाई गई औषधियों की जांच रिपोर्ट अन्तिम एवं मान्य होगी। एक बार करवाई गयी जांच के उपरान्त सामान्यतः पुनः जांच नहीं करवायी जायेगी। विशेष परिस्थितियों में अवमानक पाये गये नमूनों के सबंध में आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा 07 दिवस में विसंगति के बारे में अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने पर आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 26.03.2019 को जारी सलाहकारी पत्र के अनुसार कार्यवाही की जावेंगी।**

(11) स्वीकृत वस्तुओं के मूल्य का भुगतानः–

स्वीकृत वस्तुओं के मूल्य का भुगतान बोलीदाता से तीन प्रतियो में बिल प्राप्त होने पर बोलीदाता को उसकी फर्म के बैंक खाते के माध्यम से भुगतान करने की व्यवस्था की जावेगी।

(12) बोलीदाता द्वारा बोली किसी अन्य एजेन्सी को देनाः–

औषध आपूर्ति हेतु फर्म को दिये गये कार्यादेश को फर्म द्वारा किसी अन्य संस्था/एजेन्सी को न तो Sublet किया जाऐगा और न ही किसी अन्य के द्वारा आपूर्ति करवाएगा।

(13) समानान्तर बोलीः–

विभाग को समानान्तर बोली तय करने का अधिकार होगा। उपलब्धता एवं आवश्यकताओं के मध्येनजर न्यूनतम दर पर अन्य फर्मो को भी क्रयादेश दिया जा सकेगा।

(14) क्रय की मात्राः–

क्रय की जाने वाले औषधियां का विवरण बोली में यथास्थान अंकित हैं । न्यूनतम क्रय की कोई सीमा नहीं होगी। क्रयादेश विभाग की आवश्यकतानुसार अनुबंध अवधि दिनांक 31.12.2021 तक दिये जा सकेंगे। आर.टी.पी.पी. नियम 73(3) के अनुसार अनुबन्ध अवधि के दौरान उपापन संस्था की सिफारिश पर बोली में बोली मूल्य राशि से से 50 प्रतिशत अतिरिक्त क्रय आदेश दिया जा सकता है।

(15) सामान सप्लाई की अवधिः–

बोलीदाता को क्रयादेश निर्गमन दिनांक से 60 दिन की अवधि में सामग्री की आपूर्ति करनी होगी। 60 वें दिन राजकीय अवकाश होने पर आगामी कार्य दिवस के दोपहर 3.00 बजे तक आपूर्ति स्वीकार्य हो सकेगी।

यदि निर्धारित समय में बोलीदाता औषधी सप्लाई करने में असमर्थ रहता है, तो निम्नांकित दर से जितनी अवधि का विलम्ब हुआ है, जॉब की कीमत के आधार पर परिनिर्धारित क्षति (सहमति क्षति पूर्ति) के रूप में, न कि दण्ड के रूप में राशि वसूल की जावेगी।

(क) औषधी सप्लाई करने की निर्धारित अवधि से 1/4 भाग तक की देरी पर	**2.5 प्रतिशत**
(ख) औषधी सप्लाई करने की निर्धारित अवधि से 1/4 से अधिक लेकिन 1/2 भाग की अवधि तक देरी पर	**5.0 प्रतिशत**
(ग) औषधी सप्लाई करने की निर्धारित अवधि से 1/2 भाग से अधिक लेकिन 3/4 भाग की अवधि तक की देरी पर	**7.5 प्रतिशत**
(घ) औषधी सप्लाई करने की निर्धारित अवधि से 3/4 भाग से अधिक लेकिन कुल अवधि के बराबर की अवधि तक की देरी पर	**10 प्रतिशत**

सामान्यतः क्रयादेश निर्गम की दिनांक से 60 दिन के पश्चात माल स्वीकार नहीं किया जावेगा। विशेष परिस्थितियों में यदि प्रदायकर्ता उचित बाधाओं के कारण संविदा अन्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिए समयवृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित मे उस प्राधिकारी को सप्लाई अवधि समाप्ति से पूर्व आवेदन करेगा, जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है, किन्तु वह इसके लिए बाधा उत्पन्न होने पर तुरन्त उसी समय निवेदन करेगा। यदि माल का प्रदाय करने से उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियंत्रण से परे कारणो से हुई है, तो सुपुदर्गी अवधि मे वृद्धि परिनिर्धारित क्षति (सहमति क्षति पूर्ति) सहित या रहित भी की जा सकेगी। केन्द्रीय भण्डार क्रय समिति की राय से उचित कारणों पर विलंब से की गई आपूर्ति के मूल्य पर अधिकतम 10 प्रतिशत तक परिनिर्धारित क्षति (सहमति क्षति पूर्ति) वसूल कर सामग्री स्वीकार्य की जा सकेगी।

(16) <u>आदेशित आपूर्ति के अभाव मे बोलीदाता की जोखिम एवं लागत पर क्रय करना :–</u>

1. बोलीदाता द्वारा क्रयादेश की आपूर्ति अनुमोदित नमूने के अनुसार निर्धारित अवधि मे या शर्त संख्या 15 के अध्यधीन बढी हुई अवधि मे आपूर्ति करने मे असफल रहता है या सैम्पल क्वालिटी स्टैण्डर्ड व स्पेशिफिकेशन के अनुरूप नहीं पाई जाने पर ऐसी असफल आपूर्ति के लिए आदेशित अधिकारी को यह मानने का पर्याप्त कारण है कि निर्मित औषधि की अपूर्ण आपूर्ति हुई है एवं बोलीदाता औषधि आपूर्ति मे असफल रहा है। ऐसी असफल आपूर्ति की गई औषधि के क्रम में सुरक्षा राशि जब्त करने या सुरक्षा राशि जमा कराने से मुक्त हाने की स्थिति में जिस औषधी की कम आपूर्ति हुयी है, उस औषधी की आदेशित मात्रा के मूल्य का 10 प्रतिशत परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति (सहमति क्षतिपूर्ति) राशि आरोपित करने के आदेश दे सकेगा। तथा फर्म के विरूद्ध आर. टी.पी.पी. नियमों/बोली शर्तो के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी। जिसमें फर्म को न्यूनतम 01 वर्ष तथा अधिकतम 03 वर्ष तक आगामी निविदाओं में भाग लेने हेतु **विवर्जित (Debar)/ब्लैकलिस्ट** किया जाना शामिल है।
2. आपात स्थिति में अपवाद स्वरूप आयुर्वेद विभाग/क्रेता अधिकारी के पास यह विकल्प सुरक्षित है कि वह अपूर्ण आपूर्ति की गई निर्मित औषधि को बोलीदाता की जोखिम व लागत पर निविदा शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भण्डार क्रय समिति के निर्णयानुसार द्वितीय न्यूनतम बोलीदाता से क्रय कर सकेगे, जिसकी मूल्य अन्तर राशि की वसूली प्रथम न्यूनतम बोलीदाता से की जायेंगी, जो बोलीदाता को मान्य होगी। इस बिन्दु पर किसी प्रकार का विवाद स्वीकार नही होगा।
3. **विशेष परिस्थितियों में निर्धारित आपूर्ति समयावधि में वृद्धि प्राप्त करने के पश्चात् भी यदि कोई बोलीदाता द्वारा औषधियों की आपूर्ति नहीं की जाती है, तो दोषी फर्म को नियमानुसार आगामी निविदाओं में भाग लेने हेतु न्यूनतम 01 वर्ष तथा अधिकतम 03 वर्ष तक विवर्जित (Debar)/ब्लैकलिस्ट किया जा सकेगा। इसमें किसी प्रकार का विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।**
4. <u>औषधियों की गुणवत्ता जांच में अवमानक पाई जाने पर, की जाने वाली कार्यवाही निम्नानुसार होगी :–</u>

   (अ) मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से जांच में यदि औषधी अवमानक पाये जाने की स्थिति में औषधी आपूर्तिकर्ता फर्म को सूचित करते हुये फर्म के अधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में निदेशालय की समिति द्वारा अवमानक पायी गई औषधी को नष्ट करने की कार्यवाही की जायेंगी।

   (ब) जांच के दौरान औषधी के अवमानक पाऐ जाने पर संबंधित आपूर्तिकर्ता को अवमानक घोषित औषधी के स्थान पर सूचित की गई दिनांक से 15 दिवस में मानकों के अनुरूप औषधि की आपूर्ति करनी होगी, जिसके के लिए कोई पृथक से भुगतान देय नहीं होगा। अवमानक औषधी को बदलकर उसके स्थान पर गुणवत्तापूर्ण औषधियों की आपूर्ति निर्धारित समयावधि में नहीं करने पर बोलीदाता फर्म के विरूद्ध आर.टी.पी.पी. नियमों/बोली शर्तो के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी। जिसमें फर्म को ब्लैकलिस्ट/न्यूनतम 01 वर्ष तथा अधिकतम 03 वर्ष तक आगामी निविदाओं में भाग लेने हेतु विवर्जित (Debar) किया जाना शामिल है।

(17) **प्राईस फॉल क्लोजः**

दर संविदा के अधीन कीमतें, कीमत गिरने के खण्ड के अध्यधीन होंगी। कीमत गिरने का खण्ड, कीमत सुरक्षा क्रिया विधि है और यह उपबंध करता है कि यदि संविदा धारक, संविदा के चालू रहने के दौरान राज्य में किसी अन्य को संविदा कीमत से कम कीमत पर समान माल, संकर्मो या सेवाऐं देने के लिए उसकी कीमत कोट करता/कम करता है तो उस संविदा के अधीन उपापन की विषय–वस्तु के समस्त परिदान के लिए संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी। इसी प्रकार यदि कोई समानान्तर संविदा धारक फर्म, संविदा के चालू रहने के दौरान अपनी कीमत कम करती है तो उसकी कम की गई कीमत अन्य समानान्तर संविदा धारक फर्मो और मूल संविदा धारक फर्म को अपनी कीमतें तत्समान कम करने के लिए 15 दिवस का समय देते हुए संसूचित की जावेगी। यदि कोई संविदा धारक फर्म, कीमत कम करने से सहमत नहीं होती है तो उनके साथ आगे और संव्यवहार नहीं किया जायेगा।

यदि बोली अवधि में बोलीदाता अनुमोदित दरों को कम करता है अथवा उसी प्रकार के माल को कम दर पर अन्य किसी को बेचता है, तो उसे निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर को इस प्रकार की दरों में कमी एवं कम दरों पर बेचे गये माल की सूचना देनी होगी तथा जिस दिनांक से दरों में कमी की गई है, उसी दिनांक से निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर को दिये गये सामान की कीमत भी कम दर से लगानी होगी। **अनुमोदित दरों से कम दर पर अन्य किसी को माल नहीं बेचने का प्रमाण–पत्र बोलीदाताओं को बिल में अंकित करना होगा।**

बोली अवधि में या उसके बाद भी यह तथ्य प्रकाश में आने पर कि बोलीदाता द्वारा प्राईस फॉल क्लोज शर्तो की पालना नही की गई है, तो फर्म बोलीदाता द्वारा निदेशालय आयुर्वेद से प्राप्त अधिक राशि सूचित करने के बाद जमा कराने के लिए उत्तरदायी होगा। प्राप्त अधिक राशि जमा नही कराने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(18) **सुरक्षा राशि जमा कराना तथा अनुबंध पत्र भरकर प्रस्तुत करनाः–**

निदेशक आयुर्वेद विभाग द्वारा स्वीकृत बोली दरों के अनुमोदन की सूचना मिलने पर बोलीदाता को पत्र निर्गमित होने के 15 दिन के अन्दर नियमानुसार अपेक्षित राशि के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प (जो कि राजस्थान राज्य में क्रय किया गया हो) पर **एस. आर. 17** में अनुबन्ध सम्पादित करना होगा। निर्धारित कार्य सम्पादन प्रतिभूति आदेशित मूल्य के 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि निम्न में वर्णित किसी भी एक प्रारूप में निदेशक, आयुर्वेद विभाग राजस्थान, जयपुर को जमा करानी होगी :–

1. डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक जो निदेशक, आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर के नाम हो।
2. एन.एस.सी.(फर्म के नाम से क्रय की गई हो) जो निदेशक, आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर के नाम प्लेज्ड हो।

नोटः–

1. निर्धारित समयावधि में अनुबन्ध सम्पादित नहीं करने की स्थिति में बोली सुरक्षा राशि जब्त कर ली जावेगी व फर्म को काली सूची में डाला जा सकेगा।
2. पूर्व वर्षो की जमा सुरक्षा राशि/बोली राशि अथवा अन्य बकाया राशि का समायोजन इस हेतु नही किया जावेगा।
3. वर्तमान बोली की बोली सुरक्षा राशि का समायोजन कार्य सम्पादन प्रतिभूति मे बोलीदाता के पक्ष में अनुमोदित समस्त आईटमो का अनुबंध उनके द्वारा कर दिये जाने पर तथा बोली की सभी आईटमो का निर्णय हो जाने पर किया जा सकेगा।
4. यदि बोलीदाता केन्द्र/राज्य सरकार का राजकीय उपक्रम/संस्था है, तो उसे बोली प्रतिभूति राशि व कार्य सम्पादन प्रतिभूति में छूट है, परन्तु उनको राजकीय उपक्रम होने के सन्दर्भ में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा एवं Bid Security से मुक्ति हेतु घोषणा पत्र देना होगा।

(19) **अस्वीकृत वस्तुएँः–**

बोलीदाता द्वारा सप्लाई की गई वस्तुऐं अस्वीकृत होने पर, अस्वीकृति की सूचना निर्गमित होने की दिनांक से 15 दिन के अन्दर अस्वीकृत वस्तु को बोली दाता को स्वयं अपने खर्चे से उठा लेना होगा। निर्धारित अवधि के बाद अस्वीकृत माल को न उठाने पर उन वस्तुओ के मूल्य का एक प्रतिशत प्रति सप्ताह किराया बोलीदाताओ से वसूल किया जावेगा, जो अस्वीकृत वस्तुओ के मूल्य से अधिक नही होगा। वस्तु के खराब होने, टूटने–फूटने, क्षति आदि की जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी।

बोलीदाता द्वारा अस्वीकृत माल की सूचना निर्गमन दिनांक से 6 माह की अवधि में माल नही उठाने पर संबंधित 4 रसायनशालाओं अजमेर, भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर द्वारा अस्वीकृत माल नीलामी/नष्ट जैसी परिस्थितियों हो कर दिया जावेगा एवं उससे प्राप्त हुई राशि राज्य कोष में जमा करा दी जावेगी।

(20) <u>सुरक्षा राशि जमा न कराने एवं अनुबन्ध पत्र भरकर न देने पर बयाना राशि जब्त करनाः–</u>

यदि कोई सफल बोलीदाता बिन्दु 18 में दर्शाई गई अवधि में अथवा वृद्धि की गई अवधि में निर्धारित कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा नही कराता है, एवं समस्त अनुमोदित वस्तु की आपूर्ति हेतु अनुबंध पत्र भरकर नही देता है तो बोलीदाता की बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी। इस हेतु किसी भी प्रकार की पूर्व सूचना बोली दाता को नही दी जावेगी व फर्म को काली सूची में डाला जा सकेगा।

नोट :–यदि बोलीदाता केन्द्र/राज्य सरकार का राजकीय उपक्रम/फार्मेसी अथवा राजकीय रजिस्टर्ड सहकारी संस्था है, तो उसे बोली प्रतिभूति राशि एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति में छूट है।

(21) <u>बोली राशि एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि बोलीदाता को लौटानाः–</u>

1. जिस बोलीदाता की बोली निरस्त कर दी गई है अथवा जिसके पक्ष में किसी भी आईटम की दर स्वीकृत नहीं की गई है, तो ऐसे बोलीदाता की बोली राशि के पूर्ण निर्णय अथवा बोली खोलने की तिथि के 3 माह पश्चात जो भी देरी से हो, लौटाई जा सकेगी, यदि संबंधित बोलीदाता के विरूद्ध कोई राशि बकाया न हो ।
2. यदि किसी बोलीदाता के विरूद्ध किसी प्रकार की राशि बकाया नही हो तो उसकी कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि आदेशित आपूर्ति को सफलतापूर्वक पूरा करने की दिनांक से 3 माह बाद लौटाई जा सकेगी। बोलीदाता के विरूद्ध कोई राशि बकाया निकली तो बोलीदाता की कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि मे से ऐसी वसूली करते हुये शेष रही सुरक्षा राशि लौटा दी जावेगी।
3. समस्त स्वीकृत आईटमों का बोलीदाता द्वारा बोली शर्त सं0 18 के अनुसार निर्धारित अवधि में अनुबंध पत्र भरने एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराने पर ऐसे बोलीदाता की बोली राशि लौटा दी जावेगी यदि बोलीदाता के विरूद्ध कोई बकाया राशि नहीं निकलती है तो।

नोट :– यदि बोलीदाता केन्द्र/राज्य सरकार का राजकीय उपक्रम /फार्मेसी अथवा राजकीय रजिस्टर्ड सहकारी संस्था है, तो उसे बोली राशि एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति में छूट है।

(22) <u>सामान के साथ प्राप्त पैकिंग सामग्री को नहीं लौटानाः–</u>

बोलीदाता द्वारा सप्लाई किये गये माल के साथ जो भी पैकिंग सामग्री जैसे खोखे, बोरियॉ, डिब्बें, पत्तियॉ आदि होगी, वो निःशुल्क होगी तथा बोलीदाता को लौटायी नही जावेगी। बोलीदाता सप्लाई करने वाले माल को ठीक ढंग से पैकिंग के लिए उत्तरदायी होगें। औषध परिवहन के समय रास्ते में किसी प्रकार की क्षति व हानि के लिए निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर की जिम्मेदारी नहीं होगी ।

(23) <u>राज्याधिकारी व कर्मचारी को प्रलोभन देनाः–</u>

बोली स्वीकृति हेतु अथवा बोली संबंधी किसी कार्य हेतु प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार विभाग के किसी भी अधिकारी व कर्मचारी को प्रलोभन देना या उनके पास सिफारिश पहुॅचाना, गम्भीर अपराध समझा जावेगा तथा ऐसे बोलीदाता की बोली स्वीकार नहीं की जावेगी और यदि स्वीकार हो जाती है, तो किसी भी समय रद्द की जा सकती है।

(24) <u>आयात लाइसेंसः–</u>

यदि किसी वस्तु के लिये आयात लाइसेंस/अनुज्ञापत्र की आवश्यकता है, तो उसकी व्यवस्था करने की उत्तरदायित्व स्वयं बोलीदाता का होगा।

(25) <u>सुरक्षित अधिकारः–</u>

निदेशक आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर को अधिकार होगा कि वे बिना कोई कारण बताये किसी भी वस्तु की दरें, सबसे कम दर स्वीकार न करके उॅची दरे स्वीकृत कर ले अथवा कोई भी दर स्वीकार न करें।

(26) <u>कानूनी विवाद क्षेत्रः–</u>

समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, तो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा अजमेर में स्थित न्यायालयों मे ही पेश की जाएगी, अन्यत्र पेश नहीं की जाएगी।

(27) <u>वास्तविक निमार्ता द्वारा बोली भरी जानाः–</u>

बोली केवल उन्हीं केन्द्रीय/राज्य सरकार के उपक्रमों/फार्मेसी अथवा राजकीय रजिस्टर्ड सहकारी संस्थाओं द्वारा भरी जा सकेगी, जो एतद द्वारा विहित पुरोभाव्य शर्ते पूर्ण करती हो :–

1. <u>उक्त उपक्रमों/फार्मेसी/सोसायटी के पास स्वंय का ड्रग्स विनिर्माण का लाइसेंस हो। लोन लाईसेंस मान्य नहीं होगा।</u>
2. <u>उक्त उपक्रमों/ फार्मेसी/सोसायटी जो विगत 3 वर्षो से निरन्तर औषधियों का निर्माण व विक्रय कर रहे हो।</u>
3. <u>उक्त बोली स्वीकार होने के पश्चात् जिस भी उनवान से बोली प्रपत्र प्रस्तुत किया गया है, उसी उनवान से बिल आदि भुगतान हेतु निदेशालय आयुर्वेद विभाग के समक्ष प्रस्तुत किये जायेगे। उक्त बिलो के अतिरिक्त</u>

किसी अन्य उनवान के प्रस्तुत बिलो के भुगतान हेतु स्वीकार नही किया जावेगा एवं इस सम्बन्ध मे निदेशालय, आयुर्वेद विभाग किसी प्रकार के दायित्वाधीन नही होगा।

4. राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, जयपुर द्वारा **Black Listed** एवं **Debarred** फर्मे इस निविदा में भाग लेने हेतु अयोग्य मानी जावेगी।
5. प्रस्तुत की जाने वाली बोली हेतु औषध उत्पाद डब्ल्यू.एच.ओ.–जी.एम.पी./आयुष प्रीमियम मार्क प्रमाण पत्र प्राप्त हों।

(28) बोली दरें अंकित करनाः–

वित्तीय बोली में दरें ऑन लाईन प्रपत्र में भरी जावेगी। वित्तीय दरों में सी.जी.एस.टी. एवं एस.जी.एस.टी. की राशि जो देय है को पृथक से दिखाना होगा (Taxes as applicable, shall be shown separately)। यदि बोलीदाता वित्तीय बोली में दरों के साथ किसी प्रकार का कर (जी.एस.टी.) का निर्धारित कॉलम में अंकन नहीं करता है तो दरें कर सहित मानी जायेंगी।

(29) क्रय अधिमान :–

इस संबंध में RTPP Rule 2013 व अधिनियम 2012 के अन्तर्गत नियम व प्रावधान प्रभावी होंगे।

(30) बोली वेबसाईट **http://eproc.rajasthan.gov.in** के माध्यम से प्रेषित की जा सकेगी।

(31) अन्तिम अर्थ एवं निर्णय का अधिकारः–

1. बोली के नियम व शर्तो तथा बोली प्रपत्रो में दिये गये विवरण आदि मे निदेशक, आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर द्वारा दिया गया अर्थ एवं निर्णय अन्तिम समझा जावेगा एवं उसे बोलीदाता मानने को बाध्य होगा।
2. निदेशक आयुर्वेद को किसी भी बोलीदाता की बोली को बिना कोई कारण बताये स्वीकार करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण व निर्बाध अधिकार होगा।

(32) निजी शर्ते लगाकर बोली प्रस्तुत करनाः–

बोली शर्तो के विपरीत बोलीदाता की कोई निजी शर्त मान्य नही होगी।

(33) निरीक्षण अधिकारीः–

1. बोलीदाता द्वारा तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों के साथ सत्यापन करने एवं फर्म की उत्पादन क्षमता का आंकलन करने हेतु विभागीय जॉच दल द्वारा बोलीदाता के निर्माण परिसर का आवश्यक रूप से निरीक्षण किया जावेगा तथा जॉच दल के प्रतिवेदन के आधार पर बोलीदाता की तकनीकी योग्यता का निर्धारण किया जावेगा।

2 बोलीदाता अपने कार्यालय/वर्कशॉप/समस्त निर्माण परिसरों का संपूर्ण विवरण (पता), संस्थान के प्रभारी अधिकारी एवं उसके मोबाईल नम्बर बोली प्रपत्र के साथ उपलब्ध करवाऐगा।

3. बोली के दौरान एवं निर्माण प्रक्रिया के दौरान क्रेता अधिकारी अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि सभी युक्तियुक्त समय पर प्रदायकर्ता की फर्म या उसकी निर्माणशाला/दुकान/गोदाम के निरीक्षण के दौरान कच्ची औषधी के घटकों/निर्मित औषधियों/उपकरणों/मशीनों एवं कर्म–कौशल इत्यादि का निरीक्षण करने का अधिकारी होगा।

4. प्रदाय हेतु संविदा के अन्तर्गत आदेशित औषधियों का निर्माण, यदि क्रेता अधिकारी/उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी की संतुष्टि अनुसार नहीं पाया जाता है तो बोलीदाता को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् क्रय समिति किसी भी समय उसे निराकृत कर सकेगी।

(34) बोली शर्तो मे शिथिलता करने का अधिकारः–

बोली शर्तो मे शिथिलता करने हेतु निदेशक आयुर्वेद विभाग अजमेर के पास शक्तियॉ निहित है।

(35) तकनीकी बोली, बोली का भाग होगा। तकनीकी बोली में वांछित दस्तावेज उसी क्रम मे संलग्न करें, जिस क्रम मे बोली मे अंकित है। संलग्नक पर वही क्रम संख्या भी अंकित करें।

(36) ई–बोली से सम्बन्धित नियम शर्ते एवं सूचना बोली का भाग है।

(37) राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता नियम 2013 (Rajasthan Transparency in Public Procurment Rules 2013) के प्रावधानो के अन्तर्गत वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 3/2013 दिनांक 04.02.13 के अनुसार Annexures A, B, C, D भी बोली एवं अनुबंध का भाग है, जो संलग्न है।

(38) उपरोक्त शर्तो के अलावा अन्य शर्ते सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012/नियम 2013 के अनुसार होगी।

(39) औषधियों की आपूर्ति करते समय, औषधियों की गुणवत्ता के संबंध में आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राजकीय/राजकीय मान्यता प्राप्त एवं एन.ए.बी.एल. अधिस्वीकृत सूचीबद्ध प्रयोगशाला से ए.पी.आई. में निर्धारित

समस्त मानकों के अनुसार तथा जिन औषधियों के जॉच के पेरामीटर्स सम्बन्धित फर्मकोपियां में निर्धारित नहीं है, उनके सबंध में फर्म द्वारा विकसित की गई जनरल रैफरेन्स वेल्यू के अनुसार औषधियों की बैचवार जांच करवाकर, जांच रिपोर्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में आपूर्ति स्वीकार नहीं की जाऐगी।

(40) निर्मित औषधि की आपूर्ति संबंधित 4 रसायनशालाओं अजमेर, भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर के स्टोर पर करनी होगी।

(41) यदि बोलीदाता द्वारा गलत, कूटरचित अथवा तथ्य छिपाकर बोली हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हो तो, बोलीदाता की प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी व फर्म को काली सूची में डाला जा सकेगा तथा फर्म के विरूद्व नियमानुसार आर.टी.पी.पी. एक्ट 2012 की धारा 11 के प्रावधानों के अनुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी।

(42) बोली की शर्तो में किसी भी प्रकार का विरोधाभास/विवाद होने पर निदेशक, आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

(43) अपील :– राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के अध्याय–III एवं नियम–2013 के अध्याय VII के प्रावधान के अनुसार निदेशक, आयुर्वेद विभाग राजस्थान, अजमेर हेतु अपील अधिकारी निम्नानुसार हैः–

क्रं सं	प्रथम अपील अधिकारी	द्वितीय अपील अधिकारी
1.	शासन उप सचिव,/संयुक्त शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर

(1) धारा (9) के अध्यधीन रहते हुए यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कारवाई या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी नियमों या मार्गदर्शनों के उपबंधों के उल्लंघन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को, जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप ये देते हुए ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या यथास्थिति लोप की तारीख से दस दिन की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व–अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर अपील दाखिल कर सकेगा :–

- परन्तु बोली लगाने वाले की बोली सफल होने की घोषणा के पश्चात् अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी, जिसने उपापन कार्यवाही में भाग लिया है।
- परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहॉ उपापन संस्था वित्तीय बोली खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्याकंन करती है, वहॉ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी, जिसकी तकनीक बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

(2) बिन्दु (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप–धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी **पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावजों या यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों** का पालन किया गया है या नहीं, और तदानुसार आदेश पारित करेगा, जो बिन्दु (5) के अधीन पारित आदेश के अध्यधीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्य होगा।

(3) अधिकारी, जिसके समक्ष बिन्दु (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।

(4) यदि बिन्दु (1) के अधीन पदाभिहित अधिकारी बिन्दु (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उप–धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था बिन्दु (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, बिन्दु (2) के अधीन पारित आदेश की प्रति की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर बोली दस्तावेज में वर्णित द्वितीय अपील अधिकारी को अपील दाखिल कर सकेगा।

(5) बिन्दु (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त बिन्दु के अधीन द्वितीय अपील अधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाये गये नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावजों या यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया है या नहीं, और तदानुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(6) द्वितीय अपील अधिकारी जिसके समक्ष अपील बिन्दु (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, यथा सम्भव शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर–भीतर इसे निपटाने के

लिए प्रयास करेगा। परन्तु यदि द्वितीय अपील अधिकारी जिसके समक्ष बिन्दु (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह उसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।

(7) अपील अधिकारी जिसके समक्ष बिन्दु (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकेगी को, पूर्व–अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या यथास्थिति बोली दस्तावेजों में उपदर्शित किया जायेगा।

(8) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का ह्रास करेगी या जो विधि के परिवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अड़चन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन और संस्था के विधि सम्मत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस पैरा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जायेगी।

(9) **कतिपय मामलों में अपील नहीं होगी :–** उपापन संस्था के निम्नलिखित मामलों में से संबंधित किसी विनिश्चय के विरूद्व कोई अपील नहीं होगी, अर्थात् :–

(क) उपापन की आवश्यकता का अवधारण।

(ख) बोली प्रक्रिया में बोली लगाने वालों के भाग लेने को सीमित करने वाले उपबंध।

(ग) यह विनिश्चय कि बातचीत की जाये या नहीं।

(घ) उपापन प्रक्रिया का रद्दकरण।

(ड़) गोपनीयता के उपबंधों का लागू होना।

(10) **अपील का प्रारूप** –(क) बिन्दु (1) या (4) के अधीन यदि कोई अपील संलग्न प्रारूप में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी है।

(ख) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरूद्व अपील की गई है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

(ग) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकरण डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

(11) **अपील फाइल करने के लिए फीस** –

(1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रूपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रूपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

(2) फीस का संदाय किसी भी अधिसूचित बैंक के मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

(12) **अपील के निपटारे की प्रकिया** –

(1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी :–

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा, और

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

(3) पक्षकारो की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात् संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

(4) उप बिन्दु (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

(44) निर्मित औषधियों की आपूर्ति सफल बोलीदाता द्वारा ही की जावेगी किसी एजेन्सी के माध्यम से आपूर्ति स्वीकार नहीं होगी।

(45) वित्तीय बिड में दी गई दरें, क्रयादेश की मात्रा व आपूर्ति स्थान के अनुसार परिवर्तित नहीं होगी।

(46) बोलीदाता द्वारा दी गई व स्वीकार की गई वित्तीय बोली की दरें संविदा अवधि दिनांक 31.03.2021 तक विधि मान्य होगी तथा इसमे किसी भी कारण से कोई दर वृद्धि देय नहीं होगी।

(47) सशर्त बोली स्वीकार नहीं होगी।

(48) वित्तीय बोलीयों में अंक गणितीय त्रुटियों का सुधार RTPP Rule 2013 के नियम 64 के अनुसार होगा।

(49) <u>भुगतान प्रावधान :–</u>

1. बोलीदाता को अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।
2. सप्लाई की गई औषधियों में से लिये गये सैम्पल की जॉच आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राजकीय/राजकीय मान्यता प्राप्त एवं एन.ए.बी.एल. अधिस्वीकृत सूचीबद्व प्रयोगशाला से करवाने तथा मानकों के अनुरूप रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् ही भुगतान किया जावेगा। सप्लाई की गई औषधियों के लिए गये

सैम्पल यदि स्टैण्डर्ड प्रावधान के अनुरूप नहीं पाए जाने व सैम्पल फैल होने की स्थिति में निविदा शर्तों के अतिरिक्त वर्तमान कानूनी प्रावधान के तहत कार्यवाही हेतु क्रेता अधिकारी सक्षम होगें।

3. अस्वीकृत माल को, आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा गुणवत्तापूर्ण नये स्टॉक से बदलकर देना होगा।
4. जो निर्मित औषधियां स्टैण्डर्ड क्वालिटी की नहीं पाई जावेगी, उनका भुगतान बोलीदाता को नहीं किया जावेगा, चाहे उनका उपयोग कर लिया गया हो अथवा नहीं। क्रेता अधिकारी को बोलीदाता के किसी भी बकाया अन्य भुगतान से इस अस्वीकृत माल की राशि वसूल करने का अधिकार होगा, ऐसी स्थिति में बोलीदाता के विरूद्व नियमानुसार ब्लैक लिस्टिंग/डीबार करने की कार्यवाही भी की जाऐगी।
5. औषधियों की आपूर्ति के समय परिवहन/पैंकिंग या अन्य कारणों से किसी प्रकार की क्षति या आपूर्ति में कमी दृष्टिगत होती है तो फर्म को सूचित करने के 15 दिवस मे पाई गई कमी की आपूर्ति करनी होगी, इसके अभाव में कम प्राप्त हुई सामग्री का भुगतान काटकर एंव शास्ति आरोपित कर शेष राशि का भुगतान किया जावेगा।
6. सप्लायर आपूर्ति से पूर्व यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक किट में आदेशित औषधि की मात्रा पूरी संधारित की हुई है, यदि मात्रा में कमी पाई जाती है तो उसका भुगतान काटते हुए शेष राशि का भुगतान किया जावेगा।
7. औषधि आपूर्ति प्रक्रिया के दौरान एवं अन्तिम भुगतान करने से पूर्व यदि किसी आपूर्ति कर्ता फर्म के विरूद्ध किसी चूक के कारण किसी प्रकार की वसूली बनती है, तो वह फर्म को देय भुगतान में से की जा सकेंगी।

(50) <u>औषधियों की आपूर्ति हेतु बोली से संबंधित पात्रता की शर्तेः–</u>

निम्नांकित बिन्दुओं की शर्ते पूरी होने पर ही संबंधित फर्म बोली भरने के लिए पात्र होगी। प्रत्येक बिन्दु के लिए प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र/वांछित दस्तावेज साक्ष्य के बतौर तकनीकी बोली में स्केन कर अपलोड करने होगें। इनके अभाव में कमेटी द्वारा संबंधित फर्म की तकनीकी बोली पर विचार नहीं किया जावेगा।

(1) **<u>केवल वही फर्म/संस्था जो कि भारत सरकार/राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/फार्मेसी एवं राजकीय रजिस्टर्ड को–ऑपरेटिव क्षेत्र की संस्था है और जो स्वयं मूल औषधि निर्माता हो व डब्ल्यू.एच.ओ. –जी.एम.पी. प्रमाणित संस्थान/आयुष प्रिमियम मार्क प्रमाण पत्र धारक हो वही बोली में भाग लेने के पात्र होगें।</u>**

(2) **केन्द्र सरकार/किसी भी राज्य सरकार के विभागों / उपक्रमों द्वारा विगत तीन वर्ष के दौरान ब्लेक लिस्टेड /डीबार की गई फर्म/संस्थान आर.टी.पी.पी.एक्ट 2012 के सेक्सन 7(2)(डी) एवं नियम 2013 के नियम 39(3) के अनुसार बोली प्रक्रिया में भाग लेने हेतु पात्र नहीं होंगे।**

(3) बोलीदाता के स्वयं के नाम से सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध नवीनीकृत औषधि निर्माण लाईसेन्स एवं डब्ल्यू.एच.ओ.–जी.एम.पी./आयुष प्रिमियम मार्क प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। (**लोन लाईसेन्स स्वीकार्य नहीं होगा)**

(4) वाणिज्यक कर विभाग का जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाना होगा।

(5) विगत तीन वर्षो (2016–17, 2017–18 एवं 2018–19) में केवल आयुर्वेद औषधियों के लिए औसतन टर्न ओवर बोली मूल्य का 1/3 अर्थात 7.20 करोड़ रूपये हो। यदि सकल टर्न ओवर दिया गया है तो अलग से आयुर्वेद औषधियों का टर्नओवर अंकित किया जावे।

(6) किसी भी राज्य/केन्द्र सरकार अथवा उनके उपक्रमों द्वारा काली/विवर्जित सूची में (**Black List / Debar**) शामिल नही किए जाने के संबंध में रूपये 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र जो कि नॉटेरी से प्रमाणित हो।

(7) फर्म का कोई भी उत्पाद विगत 3 वर्षों में किसी भी राज्य/केन्द्र सरकार अथवा उनके उपक्रमों द्वारा <u>अवमानक घोषित नहीं</u> होने संबंधी शपथ पत्र रूपये 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर एवं नॉटेरी से प्रमाणित।

(8) विनिर्माण अनुज्ञापत्र (Manufacturing Licence) मय अद्यावधि नवीनीकरण प्रमाण पत्र एवं फर्म जिस राज्य से संबंधित है, उस राज्य के औषधि नियन्त्रण प्राधिकारी (Drug Controlling Authority) अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा प्रत्येक औषधि के निर्माण के लिए जारी उत्पादन अनुमति प्रमाण पत्र की प्रति । (लोन लाईसेन्स स्वीकार्य नहीं होगा।)

(9) फर्म द्वारा वर्ष 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 में केन्द्र/राज्य सरकारो के विभागों/उपक्रमों में सफलतापूर्वक एवं समयबद्ध आपूर्ति करने बाबत् संबंधित संस्था द्वारा जारी प्रत्येक वर्ष का न्यूनतम 01 तथा कुल 05 प्रमाण पत्र **(Performance Certificate)** मय आपूर्ति आदेश की प्रति।

(10) निर्माता द्वारा विगत तीन वर्षो (2016–17, 2017–18 एवं 2018–19) से निरन्तर औषध निर्माण एवं विपणन करने (Batch manufacturing & marketing **Certificate**) फर्म जिस राज्य से संबंधित है, उस राज्य के औषधि नियन्त्रण प्राधिकारी (Drug Controlling Authority)/ अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति।

(51) प्रत्येक औषधालय/चिकित्सालय हेतु औषधियों का किट आपूर्ति आदेशानुसार तैयार कर पैकिंग करते हुये संबंधित रसायनशालाओं में सप्लाई की जानी होगी।

(52) औषधियां अनुलग्नक 1 में दर्शाई गई निर्मित औषधी में से क्रय आदेश के अनुसार आपूर्ति संबंधित 4 रसायनशालाओं अजमेर, भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर में एफ.ओ.आर करनी होगी।

(53) औषधियों की सप्लाई स्वीकार होने तक किसी भी प्रकार की क्षति की जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता की होगी। पैकिंग करते समय औषधि की प्रकृति को देखते हुए पैकिंग इस प्रकार करनी होगी कि, गन्तव्य स्थान पर औषधि पहुॅचने तक व अंकित एक्सपायरी दिनांक तक सुरक्षित रहे तथा उनकी गुणवत्ता एवं प्रकृति प्रभावित न हो। अवसान तिथी तक औषधि में विकृति उत्पन्न हो जाने पर सम्बन्धित फर्म को सम्पूर्ण बैंच की औषधि वापस लेकर गुणवत्तापूर्ण औषधि सप्लाई करनी होगी। जो औषधियां उपयोग में ली जा चुकी है, उनका कोई क्लेम देय नहीं होगा। प्रत्येक औषधि के पैकिंग लेबल पर **'राष्ट्रीय आयुष मिशन के सौजन्य से, राजस्थान सरकार की सप्लाई, बिक्री के लिये नही'** अंकित करना होगा।

(54) पैकिंग में औषधियॉ कम पाये जाने पर संबंधित रसायनशाला व्यवस्थापक/अतिरिक्त निदेशक रसायनशालाऐ द्वारा अवगत कराये जाने पर फर्म द्वारा उसकी तत्काल आपूर्ति करवाई जावेगी, अन्यथा कम पाई गई औषधियों का भुगतान नहीं किया जावेगा एवं पूर्ण आपूर्ति नहीं करने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी एवं निदेशालय आयुर्वेद विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

(55) माल का भुगतान, इस हेतु गठित कमेटी द्वारा माल स्वीकार किये जाने पश्चात् किया जावेगा। प्रक्रिया के अन्तर्गत भुगतान में विलम्ब होने पर किसी प्रकार का क्लेम मान्य नही होगा।

(56) औषधि बनाते समय उपयुक्त विधि, आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित अत्यावश्यक औषध सूची में उल्लेखित संदर्भ ग्रन्थों, गुणवत्ता के मानदण्डों के अनुसार निर्माण आवश्यक होगा एवं संदर्भ ग्रन्थ का उल्लेख औषधि की लैबलिंग/पैकिंग पर करना होगा।

(57) औषधि आपूर्ति बिलों के साथ आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राजकीय/राजकीय मान्यता प्राप्त एवं एन.ए.बी.एल. अधिस्वीकृत प्रयोगशाला द्वारा की गई प्रत्येक बैच की ए.पी.आई. में निर्धारित सभी मानकों के अनुसार टेस्ट रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित करनी होगी अन्यथा आपूर्ति स्वीकार नहीं की जावेगी। आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति से पूर्व औषधियों की करवाई जाने वाली जांच के पैरामीटर्स/प्रोटोकॉल औषधिवार **अनुलग्नक–3** पर संलग्न किए गए है। तथा जिन औषधियों के जॉच के पेरामीटर्स सम्बन्धित फर्मकोपियां में निर्धारित नहीं है, उनके सबंध में फर्म द्वारा विकसित की गई जनरल रैफरेन्स वेल्यू के अनुसार औषधियों की बैचवार जांच करवाकर, जांच रिपोर्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में आपूर्ति स्वीकार नहीं की जाऐगी। **निर्देशित पैरामीटर्स के अनुसार जांच रिपोर्ट न होने की स्थिति में आपूर्ति स्वीकार नहीं की जावेगीं।**

(58) औषधियों की पैकिंग पर प्रत्येक मद के सामने उल्लेखित इकाई के अनुसार औषधियों का नाम, बैच संख्या, विनिर्माण की तारीख तथा एक्सपायरी की तिथि, प्रयुक्त घटक व उनकी मात्रा एवं **'राष्ट्रीय आयुष मिशन के सौजन्य से, 'राजस्थान सरकार की सप्लाई, बिक्री के लिये नही'** अंकित करना अनिवार्य है।

(59) औषधियों की निर्माण/प्रयोग की अवधि

1. आपूर्ति की जाने वाली औषधी के प्रत्येक बैच के प्रत्येक बोतल/कन्टेनर/टिन आदि पर विनिर्माण की तारीख, बैंच सं0 और मुख्य संघटक एवं एक्सपायरी तिथि स्पष्ट रूप से अंकित होना आवश्यक है। बाह्य लिफाफे, कार्टून एवं ट्यूब पर भी औषधि का नाम, बैंच सं. और निर्माण की तारीख एवं एक्सपायरी तिथि अंकित होनी आवश्यक हैं।
2. औषधियों की सेल्फ लाईफ एक्सपायरी तिथि ड्रग एण्ड कॉस्मेटिक(संशोधित) नियम 2005 के नियम 161 बी में निहित प्रावधानों के अनुसार होगी एवं आपूर्ति की गई औषधी की एक्सपायरी तिथि निदेशालय आयुर्वेद को आपूर्ति किए जाने के समय **न्यूनतम तीन चौथाई (3/4) की अवधि शेष** रहनी चाहिए।
3. औषधियों की पैकिंग एवं लेबलिंग ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एवं नियम 1945 तथा समय–समय पर इस संबंध में जारी निर्देशों के अनुरूप होना आवश्यक है।
4. उत्पाद के लेबल और बाह्य पैकिंग (कार्टन/रैपर) जब कभी उत्पाद बाह्य पैकिंग सहित आपूर्ति किया जाता है, तो उस पर भी 'राष्ट्रीय आयुष मिशन के सौजन्य से, 'राजस्थान सरकार की सप्लाई, बिक्री के लिये नही' मुद्रित/चिपकाया गया होना चाहिए। औषधि के लेबल पर निम्नांकित विवरण अंकित किया जाना आवश्यक है:–

(1) फर्म का नाम
(2) औषधी का नाम
(3) औषधी के मुख्य संघटक
(4) औषधी के घटको की मात्रा
(5) रोगाधिकार
(6) बैच संख्या
(7) विनिर्माण की तिथि
(8) एक्सपायरी तिथि
(9) औषधि विनिर्माण अनुज्ञापत्र क्रमांक

5. उत्पाद की असलियत और अर्न्तवस्तु की अन्य शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी बोतल/टिन/प्लास्टिक कन्टेनर आदि पिलफरप्रूफ सील (P.P. Seal) किया जाना अपेक्षित है। पैकिंग को सील करने के लिए चिकने कागज का प्रयोग न किया जाये। औषधी किट में सम्मिलित **आपूर्ति की जाने वाली औषधियों की पैकिंग निम्नानुसार की जानी है :–**

क्र.	औषधी का प्रकार	निर्धारित पैकिंग
1	आसव, अरिष्ट, सीरप, शर्बत, अर्क, तैल–घृत, क्वाथ (प्रवाही), लवण, क्षार	कांच या प्लास्टिक (खाद्य श्रेणी) की बोतल में
2	पाक, अवलेह, तरल घनसत्व, एक्सट्रेक्ट, लेप, मलहम, क्रीम	चौडे मुँह कांच/प्लास्टिक (खाद्य श्रेणी) कन्टेनर /ट्यूब में
3	चूर्ण, क्वाथ चूर्ण, गुग्गुलु, वटी, गुटिका, टेबलेट एवं वर्ती	चूर्ण एवं क्वाथ बाहरी पैकिंग टिन/प्लास्टिक (खाद्य श्रेणी) कन्टेनर में एवं आंतरिक पैंकिंग केवल खाद्य श्रेणी की पॉलीथीन में। वटी/गुटिका की पैंकिग ब्लिस्टर स्ट्रिप पैंकिग में करनी होगी।
4	भस्म, सिन्दूर, रस, रसौषधि	कांच की पैकिंग में

6. फर्म द्वारा आपूर्तित औषधियों की गुणवत्ता की जांच हेतु औषध सैम्पल लेने हेतु न्यनूतम मात्रा प्रति सैम्पल निम्नानुसार होगी।

क्र0सं0	आयुर्वेद औषधी	
	औषधि का प्रकार	न्यूनतम मात्रा
1	चूर्ण/क्वाथ	50 gm
2	तैल/घृत	50 ml.
3	आसव/अरिष्ट/सीरप	100 ml.
4	वटी/गोली/कैप्सूल	50 gm
5	रसौषधी	25 gm

नोट :– उपरोक्त वर्णित पैकिंग के अलावा अन्य पैकिंग में आपूर्ति की जाने की स्थिति में आपूर्ति अस्वीकार कर दी जावेगी एवं बोलीदाता को इसे अपने खर्चे पर उठवाना होगा।

6. संबंधित भण्डार को आपूर्ति की जाने वाली औषधियों के सभी लेबल हिन्दी/अंग्रेजी में लिखे होने चाहिए।
8. औषधियों का निर्माण भारत सरकार द्वारा निर्धारित अत्यावश्यक औषधियों की सूची में उल्लेखित सन्दर्भो के अनुसार ही किया जा कर आपूर्ति की जावेगी।

(60) वित्त विभाग के अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 में वर्णित एम.एस.एम.ई. बाबत् प्रावधान यथावत् प्रभावी होगें एवं एम.एस.एम.ई. हेतु आरक्षित सामग्री एम.एस.एम.ई. ईकाईयों से ही नियमानुसार क्रय की जायेगी।

निदेशक
आयुर्वेद विभाग अजमेर

मैने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तों, बोली सूचना व उसकी नियम, शर्तों का अध्ययन कर लिया है व अच्छी तरह समझ लिया है। सभी शर्तों से सहमति बतौर नीचे हस्ताक्षर कर दिये है।

हस्ताक्षर बोलीदाता
राजकीय उपक्रम/सोसायटी का
नाम मय सील

क्रय की जाने वाली निर्मित आयुर्वेदिक औषधियों की सूची **अनुलग्नक –1**

क्र. सं.	ई.डी.एल. सूची में वर्णित औषधि का नाम	पैकिंग मानक
1	दशांग लेप	500gm
2	आनन्दभैरव रस	250mgX10 strip pecking
3	श्वेतपर्पटी	100gm
4	गंधक रसायन	100gm
5	हरितकी चूर्ण	500gm
6	बहेड़ा चूर्ण	500gm
7	तालिसादि चूर्ण	500gm
8	आमलकी चूर्ण	500gm
9	लवणभास्कर चूर्ण	500gm
10	अश्वगंधा चुर्ण	500gm
11	दशमूल क्वाथ	500gm
12	मधुयष्टि चूर्ण	250gm
13	जात्यादि तेल	100ml
14	संजीवनी वटी	250mgX10 strip pecking
15	गोदन्ती भस्म	100gm
16	कपर्द भस्म	100gm
17	बालसुधा भस्म	100gm
18	शुभ्रा भस्म	100gm
19	चन्द्रप्रभा वटी	250mgx10 strip packing
20	गोजीव्हादि क्वाथ	500gm
21	अर्जुनत्वक चूर्ण	200gm
22	कर्पूर रस	125mgX10 strip pecking
23	लंवगादि वटी	100gm
24	त्रिकटु चूर्ण	100gm
25	गिलोय चूर्ण	250gm
26	शंख भस्म	100gm

27	पथ्यादि चूर्ण	500gm
28	फलत्रिकादि क्वाथ	500gm
29	शुक्ति भस्म	100gm
30	गोक्षुर चूर्ण	500gm
31	अविपत्तिकर चूर्ण	500gm
32	हिंगवाष्टक चूर्ण	500gm
33	योगराज गुग्गुलु	250mgx10 strip packing
34	अरण्ड तेल	100ml
35	आरोग्यवर्धनी वटी	250mgx10 strip packing
36	कुटजघनवटी	250mgx10 strip packing
37	महासुदर्शन चूर्ण	500gm
38	लघुविषभगर्भ तेल	50ml
39	त्रिभुवनकीर्ति रस	250mgX10 strip pecking
40	गोक्षरादि गुग्गुलु	250mgx10 strip packing
41	पुष्यानुग चूर्ण	250gm
42	लघुसूतशेखर रस	250mgX10 strip pecking
43	पुर्ननवादि मण्डूर	250mgX10 strip pecking
44	मरिच्यादि तेल	50ml
45	सर्पगंधाघनवटी	250mgx10 strip packing
46	हरिद्राखण्ड	100gm
47	रजःप्रर्वतनी वटी	250mgx10 strip packing

उपरोक्त निर्मित औषधियों की आदेशित मात्रा को किट पैकिंग में संबंधित रसायनशाला में समय पर आपूर्ति हेतु सहमत हूँ।

अनुलग्नक–2

रसायनशालाओं में आपूर्ति किये जाने वाले औषधि किट का विवरणः– निम्नानुसार किट की आपूर्ति संबंधित रसायनशाला में आपूर्ति कर्ता द्वारा की जानी है।

क्रं सं	रसायनशाला	जिला	राज्य वार्षिक कार्ययोजना के तहत आपूर्ति किए जाने वाले आयुर्वेद औषधियों के किटों की संख्या		
			औषधालयों हेतु किट	औषधालयों हेतु किट	औषधालयों हेतु किट
1.	राजकीय आयुर्वेद रसायनशाला, अजमेर	अजमेर	165	8	**173**
		जयपुर –अ	185	6	**191**
		जयपुर –ब	155	4	**159**
		टोंक	118	4	**122**
		झुंझुंनु	198	3	**201**
		नागौर	194	7	**201**
		सीकर	207	5	**212**
		कुल –	**1222**	**37**	**1259**
2.	राजकीय आयुर्वेद रसायनशाला, जोधपुर	जोधपुर	153	3	**156**
		चुरू	156	5	**161**
		जालोर	87	3	**90**
		जैसलमेर	37	1	**38**
		पाली	160	6	**166**
		बाडमेर	123	1	**124**
		बीकानेर	130	1	**131**
		श्रीगंगानगर	116	3	**119**
		सिरोही	73	2	**75**
		हनुमानगढ	115	3	**118**
		कुल –	**1150**	**28**	**1178**
3.	राजकीय आयुर्वेद रसायनशाला, भरतपुर	भरतपुर	185	5	**190**
		अलवर	253	8	**261**
		करौली	89	1	**90**
		कोटा	75	1	**76**
		झालावाड	86	4	**90**
		दौसा	109	1	**110**
		धौलपुर	62	2	**64**
		बांरा	95	2	**97**
		बूंदी	80	1	**81**
		सवाईमाधोपुर	91	3	**94**
		कुल –	**1125**	**28**	**1153**
4.	राजकीय आयुर्वेद रसायनशाला, उदयपुर	उदयपुर	209	8	**217**
		चित्तौडगढ	115	4	**119**
		डूंगरपुर	129	4	**133**
		प्रतापगढ	62	2	**64**
		बांसवाडा	122	3	**125**
		भीलवाडा	212	5	**217**
		राजसमन्द	110	2	**112**
		कुल –	**959**	**28**	**987**
		सर्व योग –	**4456**	**121**	**4577**

नोट : उपरोक्त किटों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। परिवर्तन की दशा में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त व्यय देय नहीं है। आदेश दिऐ जाने पर औषधी की आपूर्ति हेतु तदानुसार किट तैयार करने होगें।

आपूर्ति से पूर्व करवाई जाने वाली जांच हेतु निर्धारित पैरामीटर्स/प्रोटोकॉल

1. आयुर्वेदिक औषधी प्रकार :– अर्क

क्र.स.	जांच का प्रकार
1	Description, colour, odour
2	PH
3	specific gravity at 20° C
4	essential oil % v/v
5	Identification by TLC/HPTLC (As Applicable)
6	Microbial contamination a. total bacterial count b. total fungal count
7	test for specific pathogens
8	test for aflatoxins

2. आयुर्वेदिक औषधी प्रकार :– आसव एवं आरिष्ठ

क्र.स.	जांच का प्रकार
1	Description, colour, odour
2	pH value
3	specific gravity at 25° C
4	total solids
5	alchohol content (in %)
6	test for methanol
7	reducing sugars
8	non reducing sugars
9	total phenolic content
10	Identification by TLC/HPTLC (As applicable)
11	Microbial contamination a. total bacterial count b. total fungal count
12	test for specific pathogens

3. आयुर्वेदिक औषधी प्रकार :– अवलेह

क्र.स.	जांच का प्रकार
1	Description, colour, & taste, odour
2	Loss on drying at 105°C
3	Total ash
4	Acid insoluble ash

5	pH value
6	alcohol soluble extractive
7	water soluble extractive
8	reducing sugars
9	non reducing sugars
10	Identification by TLC/HPTLC (As Applicable)
11	Microbial contamination a. total bacterial count b. total fungal count
12	test for specific pathogens
13	test for aflatoxins
14	Test for heavy metals

4. आयुर्वेदिक औषधी प्रकार :– चूर्ण/क्वाथ चूर्ण

क्र.स.	जांच का प्रकार
1	Description, macro & microscopic study
2	Loss on drying at 105°C
3	Total ash
4	Acid insoluble ash
5	alcohol soluble extractive
6	water soluble extractive
7	total sugars (only in sugar containing choorna)
8	Identification by TLC/HPTLC (As Applicable)
9	Microbial contamination a. total bacterial count b. total fungal count
10	test for specific pathogens
11	test for aflatoxins
12	Test for heavy metals

5. आयुर्वेदिक औषधी प्रकार :– घन सत्व/प्लान्ट एक्सट्रेक्ट

क्र.स.	जांच का प्रकार
1	Description, colour, & taste, odour
2	Loss on drying at 105°C
3	Total ash
4	Acid insoluble ash
5	alcohol soluble extractive
6	water soluble extractive
7	foreign matter
8	Identification by TLC/HPTLC (As Applicable)
9	Microbial contaminationa. total bacterial count

	b. total fungal count
10	test for specific pathogens
11	test for aflatoxins
12	Test for heavy metals
13	Pesticide residue

6. आयुर्वेदिक औषधी प्रकार :– मेडिकेटेड घृत/तैल

क्र.स.	जांच का प्रकार
1	Description, colour, & taste, odour
2	specific gravity at 40° C
3	refractive index at 40° C
4	iodine value
5	acid value
6	saponification value
7	peroxide value
8	test for mineral oil
9	Identification by TLC/HPTLC (As Applicable)
10	Microbial contamination a. total bacterial count b. total fungal count
11	test for specific pathogens
12	test for aflatoxins
13	Test for heavy metals
14	Viscosity

7. आयुर्वेदिक औषधी प्रकार :– लेप मलहम (क्रीम)

क्र.स.	जांच का प्रकार
1	Description, colour, odour
2	Loss on drying at 105°C
3	Total ash
4	Acid insoluble ash
5	alcohol soluble extractive
6	water soluble extractive
7	Identification by TLC/HPTLC (As Applicable)
8	Microbial contamination a. total bacterial count b. total fungal count
9	test for specific pathogens
10	test for aflatoxins
11	pH value
12	Particle Size

8. आयुर्वेदिक औषधी प्रकार :– वटी/गुटिका/टेबलेट/वर्ती

क्र.स.	जांच का प्रकार
1	Description, , colour, odour
2	Loss on drying at 105°C
3	Total ash
4	Acid insoluble ash
5	alcohol soluble extractive
6	water soluble extractive
7	Weight variation
8	disintegration time
9	pH value
10	Identification by TLC/HPTLC (As Applicable)
11	Microbial contamination a. total bacterial count b. total fungal count
12	test for specific pathogens
13	test for aflatoxins
14	test for heavy metals
15	Pesticide residue

9. आयुर्वेदिक औषधी प्रकार :– सीरप/शर्बत

क्र.स.	जांच का प्रकार
1	Description, colour, odour
2	Total ash
3	Acid insoluble ash
4	alcohol soluble extractive
5	water soluble extractive
6	Identification by TLC/HPTLC (As Applicable)
7	Microbial contamination a. total bacterial count b. total fungal count
8	test for specific pathogens
9	pH value
10	total sugars
11	viscosity
12	test for heavy metals

10. आयुर्वेदिक औषधी प्रकार :– भस्म/सिंदूर

क्र.स.	जांच का प्रकार
1	Description, colour, odour
2	Chemical identification
3	Particle size (in mesh)
4	Loss on drying at 105°C
5	Total ash
6	Acid insoluble ash
7	Water soluble ash
8	Assay of element/s
9	Ayurvedic specifications test :- a. Nischandrika b. rekha purnatva c. varititara d. nirdhoom e. niswadu f. apunarbhav

11. आयुर्वेदिक औषधी प्रकार :– नैत्रबिन्दु/अन्जन/कर्णबिन्दु

क्र.स.	जांच का प्रकार
1	Description, colour
2	pH Value
3	Clarity test
4	Sterlity test
5	Identification by TLC/HPTLC (as applicable)

12. आयुर्वेदिक औषधी प्रकार :– मण्डूर

क्र.स.	जांच का प्रकार
1	Description, colour, odour
2	Total ash value
3	Acid insoluble ash
4	Alchol soluble extractive
5	Loss on drying
6	pH
7	Disintegration time
8	Av. weight
9	Assay - total iron
10	Microbial contamination a. total bacterial count b. total fungal count
11	Test for aflatoxin

13. आयुर्वेदिक औषधी प्रकार :– धूप

क्र.स.	जांच का प्रकार
1	Microscopic study
2	Loss on drying

14. आयुर्वेदिक औषधी प्रकार :– पिष्टी

क्र.स.	जांच का प्रकार
1	Loss of drying at 105 degree C.
2	Total ash
3	Paricle size (In mesh)
4	Acid insoluble ash
5	Assay of elements
6	Microbial contamination a. total bacterial count b. total fungal count
7	Test of specific pathogen
8	Test for aflatoxin

15. आयुर्वेदिक औषधी प्रकार :– पर्पटी

क्र.स.	जांच का प्रकार
1	Chemical identification
2	Loss of drying at 105 degree C.
3	Total ash
4	Paricle size (In mesh)
5	Acid insoluble ash
6	Assay of elements
7	Water soluble ash

16. आयुर्वेदिक औषधी प्रकार :– गुग्गुलु

क्र.स.	जांच का प्रकार
1	Microscopic study
2	Loss on drying
3	Total ash
4	Acid insoluble ash
5	Alchol soluble extractive
6	Water soluble extractive
7	pH
8	Identification by TLC/HPTLC (as applicable)
9	Microbial contamination a. total bacterial count b. total fungal count
10	Test for aflatoxin

17. आयुर्वेदिक औषधी प्रकार :– रसयोग

क्र.स.	जांच का प्रकार
1	Chemical identification
2	Loss of drying at 105 degree C.
3	Total ash
4	Paricle size (In mesh)
5	Acid insoluble ash
6	Assay of elements
7	Water soluble ash

संलग्नक–क

तकनीकी बोली प्रपत्र का बिन्दु संख्या 7 (1)

बोली प्रतिभूति/कार्य सम्पादन प्रतिभूति में छूट बाबत् राजकीय उपक्रम/ फार्मेसी/राजकीय रजिस्टर्ड सहकारी सोसायटी होने संबंधी घोषणा

मैं/हम एतद् द्वारा घोषित करता हूँ/करते है कि, हमारी फर्म/संस्था मैसर्स .... केन्द्र/राज्य सरकार का सरकारी उपक्रम/फार्मेसी/राजकीय रजिस्ट्रीकृत सहकारी संस्था है, जिसकी पुष्टि हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र/दस्तावेज की प्रमाणित प्रति संलग्न है, तथा हमारी फर्म/संस्था राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अनुच्छेद 42 (3) के अनुसार बोली प्रतिभूति तथा नियम 75 के अन्तर्गत कार्य सम्पादन प्रतिभूति से मुक्त है।

स्थान :– **बोलीदाता के हस्ताक्षर**

दिनांक :–

संलग्नक–ख
तकनीकी बोली प्रपत्र का बिन्दु संख्या 7 (7)

बोलीदाता द्वारा स्व–घोषणा
(देखे नियम 48–VII)

मैं/हम, घोषणा करता हूँ/करते है कि, मैंने/हमने जिन निर्मित औषधियों के लिए बोली दी है, उनका/उनके, मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता हूँ/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो हमारे फर्म के विरूद्व नियमानुसार किसी भी प्रकार की कार्यवाही की जा सकती है।

स्थान :– **बोलीदाता के हस्ताक्षर**

दिनांक :–

संलग्नक–ग

तकनीकी बोली प्रपत्र का बिन्दु संख्या 7 (8)

औसत वार्षिक टर्नओवर का स्टेटमेन्ट

यह प्रमाणित किया जाता है कि आयुर्वेद औषध निर्माता मैसर्स .....

.....का विगत तीन वर्षो का **केवल आयुर्वेदिक औषधियों** का वार्षिक टर्न ओवर निम्नानुसार है तथा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि यह स्टेटमेन्ट सत्य एवं सही है।

क्रम संख्या	वर्ष	टर्न ओवर (रूपये लाखों में)
1.	2016–17	
2.	2017–18	
3.	2018–19	
4.	कुल	
5.	औसत वार्षिक टर्न ओवर	

स्थान :–

दिनांक :–

हस्ताक्षर
चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट
नाम .....
रजिस्ट्रेशन न.
सील

संलग्नक–घ

तकनीकी बोली प्रपत्र का बिन्दु संख्या 7 (9)

ब्लैक–लिस्टेड नहीं होने का घोषणा–पत्र

(रूपये 100/– के नॉन ज्यूडिशियन स्टाम्प पेपर पर एवं नोटेरी से प्रमाणित)

मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि, मेरी/हमारी संस्था .... को विगत तीन वर्षों (2016–17 से आज दिनांक तक) में केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभाग/उपक्रमों द्वारा ब्लैक लिस्टेड/प्रतिबंधित नहीं किया गया है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो निदेशालय द्वारा मेरे/हमारे विरूद्ध नियमानुसार किसी भी प्रकार की कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान :– **बोलीदाता के हस्ताक्षर**

दिनांक :–

संलग्नक–ड.
तकनीकी बोली प्रपत्र का बिन्दु संख्या 7 (12)

(आर.टी.पी.पी. अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अंतर्गत हस्ताक्षरित एनक्सर ए, बी सी एवं डी)

Annexure A : Compliance with the code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall –

(a) not offer any bribe, reward of gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process.
(b) not misrepresent or omit the misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation.
(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and process of the procurement process.
(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process.
(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same , directly or indirectly, to any party or its property to influence the procurement process.
(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process.
(g) disclose conflict of interest, if any ; and
(h) disclose any pervious transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest :-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest. A Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited:
   a. have controlling partners/shareholders in common; or
   b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them;
   c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
   d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process; or
   e. the Bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as Bidder, in more than one Bid; or
   f. the Bidder or any of its affiliates participated as consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
   g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to ……. for procurement of ……. in response to their Notice Inviting Bids No.……. Dated …… I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resource and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we/ have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our Directors and Officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the marking of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict to interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of Bidder
Name :
Designation :
Address :

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is deputy /Joint secretary, Ayurved and Indian Medican Department, Rajasthan, Jaipur.

The designation and address of the Second Appellate Authority Principle Secretary/ Secretary Ayurved and Indian Medican Department, Rajasthan, Jaipur.

Filling an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(1) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(2) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(3) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :-

(a) determination of need of procurement;

(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;

(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;

(d) cancellation of a procurement process;

(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(4) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed From along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(5) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's Cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(6) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies there of relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following bases:

a. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit be shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price shall govern and the unit price shall be corrected;

b. if there in an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected ; and

c. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

i. At the time of award of contract, the quantity of Goods, words or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

ii. If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

iii. In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and condition of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing Quantites among more than one bidder at the time of award (in case of procurement of goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital natures, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates if the Bidder, whose Bid is accepted.

संलग्नक–च

तकनीकी बोली प्रपत्र का बिन्दु संख्या 7 (15)

आवश्यक सभी विधि सम्मत प्रावधानों का पालना का घोषणा–पत्र

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि, मैने/हमने जिन औषधियों के लिए बोली दी है, उनके औषध निर्माण हेतु फार्मेसी/औषध परीक्षण प्रयोगशाला में वर्तमान में आवश्यक सभी विधि सम्मत प्रावधानों का पालन किया जाता है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए, तो निदेशालय द्वारा मेरे/हमारे विरूद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान :– **बोलीदाता के हस्ताक्षर**

दिनांक :–

संलग्नक–छ

तकनीकी बोली प्रपत्र का बिन्दु संख्या 7 (17)

बोलीदाता द्वारा सहमति पत्र

निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान, अजमेर की विज्ञप्ति संख्या.....
.....दिनांक.....के सन्दर्भ में राजकीय आयुर्वेद एवं प्राकृतिक औषधालयों/चिकित्सालयों हेतु निर्मित अत्यावश्यक औषधियों की आपूर्ति हेतु मैने/हमने सभी नियम व शर्ते पढ ली है, जिसके आधार पर आपूर्ति करने हेतु सहमति प्रदान करता हूँ,/करते है। साथ ही बोली फार्म का शुल्क राशि रू.....(.....
.....) बैंकर्स चैक/डी.डी. संख्या.....दिनांक.....बैंक.....
.....संलग्न है। यदि हमारी फर्म द्वारा निविदा की शर्तों का पालन नहीं किया जाता है, तो निदेशालय द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान :– **बोलीदाता के हस्ताक्षर**

दिनांक :–

संलग्नक–ज

तकनीकी बोली प्रपत्र का बिन्दु संख्या 7 (18)

आपूर्ति के सबंध में स्व–घोषणा प्रमाण पत्र

मैं/हम, एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि, निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर औषधियों की आपूर्ति संबंधी आपूर्ति आदेश दिये जाने की दशा में, मेरी/हमारी फर्म द्वारा क्रयादेश में इंगित मात्रा की औषधियां निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर के द्वारा निर्देशित स्थान पर एफ.ओ.आर आपूर्ति सुनिश्चित रूप से की जायेगी। मैने/हमने निम्नांकित निर्मित औषधियों के लिए वित्तीय दरें दी है जिनकी समयाबद्ध आपूर्ति के क्रम में निम्नानुसार प्रतिबद्धता व्यक्त करते है :–

क्र. सं.	निर्मित औषधी का नाम	वार्षिक उत्पादन क्षमता	मासिक आपूर्ति प्रतिबद्धता	त्रैमासिक आपूति प्रतिबद्धता	संविदा समय में आपूर्ति की प्रतिबद्धता
1					
2					
3					

स्थान :–

बोलीदाता के हस्ताक्षर

दिनांक :–

संलग्नक–झ

तकनीकी बोली प्रपत्र का बिन्दु संख्या 7 (21)

औषधियों का निर्माण निर्धारित सदंर्भ ग्रंथों के अनुसार करने बाबत घोषणा–पत्र

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि विभाग को आपूर्ति की जाने वाली औषधियों का निर्माण भारत सरकार द्वारा निर्धारित अत्यावश्यक औषधियों की सूची में उल्लेखित सन्दर्भ ग्रन्थों के अनुसार ही किया जाकर आपूर्ति की जायेंगी।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो निदेशालय आयुर्वेद द्वारा मेरे/हमारे विरूद्ध नियमानुसार किसी भी प्रकार की कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान :– **बोलीदाता के हस्ताक्षर**

दिनांक :–

संलग्नक–ञ

तकनीकी बोली प्रपत्र का बिन्दु संख्या 7 (22)

घोषणा–पत्र

मैं/हम घोषणा करता हूॅ/करते है कि, मेरी/हमारी फर्म द्वारा आपूर्ति की गई औषधि यदि मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण नहीं पाई जाती है तो उन औषधियों को मैं/हम स्वयं के खर्चे पर वापस प्राप्त करूगॉ/करेगें व उनके स्थान पर मानकों के अनुरूप व गुणवत्तापूर्ण औषधियों की विर्निदिष्ट अवधि में आपूर्ति करूगॉ/करेगें। हमारी फर्म द्वारा आपूर्ति की गई औषधियां गुणवत्ता परीक्षण के दौरान गुणवत्तापूर्ण नहीं पाई जाने की स्थिति में निदेशक आयुर्वेद विभाग अजमेर द्वारा हमारी फर्म के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो निदेशालय द्वारा मेरे/हमारे विरूद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान :– **बोलीदाता के हस्ताक्षर**

दिनांक :–

संलग्नक–ट

तकनीकी बोली प्रपत्र का बिन्दु संख्या 7 (23)

परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति संबंधी स्व–घोषणा प्रमाण पत्र

मैं/हम एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि, निदेशालय आयुर्वेद विभाग अजमेर द्वारा औषधियों की आपूर्ति संबंधी आपूर्ति आदेश में इंगित अवधि में मेरे/हमारे द्वारा औषधियों की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी। निश्चित अवधि में आपूर्ति न हो पाने की दशा में बोली की शर्तों के अनुसार विलम्ब अवधि के आधार पर देय परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति राशि को हमारी फर्म को किये जाने वाले भुगतान में से काटे जाने हेतु सहमत है।

स्थान :– **बोलीदाता के हस्ताक्षर**

दिनांक :–

संलग्नक–ठ

तकनीकी बोली प्रपत्र का बिन्दु संख्या 7 (24)

घोषणा–पत्र

मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि, मेरे/हमारे द्वारा निदेशालय आयुर्वेद विभाग द्वारा जारी ई–बोली में औषधियों का जो मूल्य भरा गया है, इससें कम दरों पर उन औषधियों की आपूर्ति अनुबंध अवधि के दौरान किसी अन्य को नहीं की जावेगी। यदि ऐसा किया जाना पाया जाता है तो निदेशालय आयुर्वेद के तहत की जाने वाली औषधि आपूर्ति में भी इसकी मूल्य अन्तर राशि का लाभ दिया जाएगा।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो निदेशक द्वारा मेरे/हमारे विरूद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान :– **बोलीदाता के हस्ताक्षर**

दिनांक :–

संलग्नक–ड

तकनीकी बोली प्रपत्र का बिन्दु संख्या 7 (26)

जी.एस.टी.रजिस्ट्रेशन/ExiseDuty प्रमाण पत्र घोषणा

(प्रमाण के रूप में अद्यतन रिटर्न/चालान की प्रतिया संलग्न करे)

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमारी फर्म मैसर्स ..... को जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र क्रमांक..... दिनांक.....को प्राप्त हो गया है एवं दिनांक .....तक मान्य है तथा आज दिनांक तक किसी प्रकार की जी.एस.टी. राशि जमा करवाना बकाया नहीं है।

स्थान :– बोलीदाता के हस्ताक्षर

दिनांक :–

या

जी.एस.टी /ExiseDuty से मुक्त होने संबंधी घोषणा

(संबंधित आदेश जिसके तहत मुक्ति प्राप्त है, संलग्न करे)

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमारी फर्म मैसर्स .....
..... द्वारा उत्पादन की जा रही औषधियां जी.एस.टी. से मुक्त है।

स्थान :– बोलीदाता के हस्ताक्षर

दिनांक :–

संलग्नक–ढ

तकनीकी बोली प्रपत्र का बिन्दु संख्या 7 (27)

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 7 के अन्तर्गत

घोषणा प्रमाण पत्र

मै/हम राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 7 व 11 के अन्तर्गत घोषणा करता हूँ /करते है कि :–

(क) आवश्यक वृत्तिक, तकनीकी, वित्तीय और प्रबंधकीय स्त्रोत तथा उपापन संस्था द्वारा जारी किए गए बोली दस्तावेजों, पूर्व–अर्हता दस्तावेजों या यथास्थिति, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों द्वारा अपेक्षित सक्षमता धारित करते है।

(ख) ऐसे करों को संदत्त करने की जो बोली दस्तावेजों, पूर्व अर्हता–दस्तावेजों या बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या यथास्थिति, किसी स्थानीय प्राधिकारी को संदेय हैं, अपनी बाध्यता की पूर्ति करेगें।

(ग) दिवालिया, रिसीवर के अधीन, शोधन अक्षम नही होगा या परिसमापन नहीं कर रहा होगा, न किसी न्यायालय या न्यायिक अधिकारी द्वारा प्रशासित कार्यकलाप रखेगा, न अपने कारोबार के क्रियाकलाप निलंबित रखेगा और न पूर्वगामी कारणों में से किसी के लिए भी विधिक कार्यवाहियों के अध्यधीन होगा।

(घ) अपने वृत्तिक आचरण या उपापन प्रक्रिया के प्रारंभ के पूर्ववर्ती तीन वर्ष की किसी कालावधि के भीतर कोई उपापन संविदा किये जाने के लिए अपनी अर्हताओं के बारे में मिथ्या कथन करने या दुर्व्यपदेशन संबंधी किसी दांडिक अपराध के संबंध में न तो स्वयं, और न उनके निदेशक और अधिकारी दोष सिद्ध हुए हैं, या विर्वजन कार्यवाहियों के अनुसरण में अन्यथा निरर्हित हुए है।

(ड़) ऐसे हित, जो पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विहित और विनिर्दिष्ट किये जाये, के प्रति कोई विरोध नहीं रखेगें, जो उचित प्रतियोगिता को तात्विक रूप ये प्रभावित करें।

(च) कोई भी अन्य अर्हताएँ, जो विहित की जायें, पूर्ण करेगें।

(छ) किसी उपापन संस्था का कोई अधिकारी या कर्मचारी या किसी उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा विहित सत्यनिष्ठा संहिता के उल्लंघन में कोई कार्य नहीं करेगा।

(ज)(i) उपापन प्रक्रिया में किसी अनुचित लाभ के आदान–प्रदान में, या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी रिश्वत, इनाम या दान या किसी तात्विक फायदे के किसी प्रस्ताव, याचना या स्वीकृति का या उपापन प्रक्रिया को अन्यथा प्रभावित करने का :

(ii) किसी दुर्व्यपदेशन सहित किसी लोप का, जो गुमराह करता है या गुमराह करने का प्रयत्न करता है ताकि कोई वित्तीय या अन्य फायदा प्राप्त कर सके या किसी बाध्यता से बच सके :

(iii) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, औचित्य और प्रगति का ह्रास करने के लिए किसी दुरभिसंधि, बोली छल या प्रतियोगी–विरोधी व्यवहार का :

(iV) उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ या वैयक्तिक लाभ के आशय से उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच सांझा की गयी सूचना के अनुचित उपयोग का :

(V) बोली लगाने वाले और उपापन संस्था के किसी अधिकारी या कर्मचारी के बीच किसी वित्तीय या कारबार संबंधी संव्यवहारों का :

(VI) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी पक्षकार या उसकी सम्पत्ति का, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ह्रास या अपहानि या ऐसा करने की धमकी सहित किसी प्रपीडन का :

(Vii) किसी उपापन प्रक्रिया के किसी अन्वेषण या लेखापरीक्षा की किसी बाधा का : प्रतिषेध करने,

(झ) हित के विरोध का प्रकटीकरण करने :

(ण) अंतिम तीन वर्ष के दौरान भारत या किसी भी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्ववर्ती नियमभंग करने के संबंध में या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन के संबंध में बोली लगाने वाले के द्वारा प्रकटीकरण करने, के उपबन्ध सम्मिलित है।

(ट) अध्याय 4 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी बोली लगाने वाले या, यथास्थिति, भावी बोली लगाने वाले द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता के किसी भंग की दशा में उपापन संस्था निम्नलिखित सहित समुचित अध्युपाय कर सकेगी :–

(i) उपापन प्रक्रिया से बोली लगाने वालों का अपवर्जन :

(ii) संविदा–पूर्व बातचीत की समाप्ति और बोली प्रतिभूति का समपहरण या भुनाना :

(iii) उपापन से संबंधित किसी अन्य प्रतिभूति या बन्धपत्र का समपहरण या भुनाना :

(IV) उपापन संस्था द्वारा किये गये संदायों की, उन पर बैंक दर से ब्याज सहित, वसूली :

(v) उपापन संस्था द्वारा सुसंगत संविदा का रद्दकरण और उपगत हानि के लिए प्रतिकर की वसूली

(vi) उपापन संस्था के आगामी उपापनों में, धारा 46 के अधीन तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए, बोली लगाने वाले को भाग लेने से विवर्जित करना।

स्थान :– **बोलीदाता के हस्ताक्षर**

दिनांक :–

संलग्नक–ण

तकनीकी बोली प्रपत्र का बिन्दु संख्या 7 (28)

फर्म का कोई भी उत्पाद विगत 3 वर्ष के दौरान किसी भी राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा अवमानक घोषित नहीं होने संबंधी शपथ पत्र

(रूपये 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एवं नॉटरी पब्लिक से प्रमाणित)

हम मैसर्स (फर्म का नाम एवं पता.....

एतद् द्वारा घोषणा करते है कि हमारे द्वारा उत्पादित किसी भी उत्पादों को आज दिनांक तक किसी भी राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/उनके संस्थानों द्वारा विगत तीन वर्षो के दौरान नकली/अवमानक घोषित नही किया गया है। उक्त घोषणा असत्य पाई जाने की स्थिति में हमारी फर्म के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है।

स्थान :– **बोलीदाता के हस्ताक्षर**

दिनांक :–

.

संलग्नक–त

तकनीकी बोली प्रपत्र का बिन्दु संख्या 7 (29)

केन्द्र/राज्य सरकारो के विभागों/उपक्रमों में संतोषप्रद एवं समयबद्ध आपूर्ति करने संबंधी प्रमाण पत्र (Performance Certificate)

(आपूर्ति आदेश एवं विभाग से प्राप्त प्रमाण पत्र की वर्षवार प्रतियां संलग्न करे)

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमारी फर्म मैसर्स ..... द्वारा विगत 3 वर्षो के दौरान विभिन्न राज्यों/केन्द्र सरकार के उपक्रमो/विभागों से निम्नानुसार आयुर्वेदिक औषधियों की आपूर्ति हेतु कार्यादेश प्राप्त किए है एवं सफलतापूर्वक एवं समयबद्ध रूपसे आपूर्ति की गई है। प्राप्त आदेशों का विवरण निम्न प्रकार है –(वर्षवार)

क्र. स.	आदेश क्रमांक एवं दिनांक	विभाग का नाम	कार्यादेश राशि	आपूर्ति हेतु निर्धारित अवधि	वास्तविक आपूर्ति दिनांक
1					
2					
3					
4					
5					

स्थान :– **बोलीदाता के हस्ताक्षर**

दिनांक :–

संलग्नक–थ

तकनीकी बोली प्रपत्र का बिन्दु संख्या 7 (30)

शपथ पत्र 500/– रूपये के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित

मैं/हम शपथपूर्वक घोषणा करते है कि, मैने/हमने आयुर्वेद निर्मित औषधियों के क्रय हेतु तकनीकी बोली के बिन्दु सं का 7 (30) के अनुसार क्रम संख्या 1 से 29 तक में जो घोषणा पत्र/प्रमाण पत्र/अन्य सूचनाएं संलग्न की है, वे सत्य एवं पूर्णतया सही है। इनमें किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं है, और न ही कोई कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया है। यदि ऐसा पाया जाता है, तो निदेशक आयुर्वेद विभाग अजमेर हमारे फर्म के विरूद्ध ई–बोली शर्तों / आर.टी.पी.पी. एक्ट 2012/ नियम 2013 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति में यदि मेरी/हमारी बोली जो स्वीकृत कर दी गई, रदद् कर दी जावे।

स्थान :– **बोलीदाता के हस्ताक्षर**

दिनांक :–

करार पत्र (देखिए नियम 68)

1. यह करार पत्र आज दिनांक ..... माह ..... सन्..... को एक पक्ष के ..... (जिसे इसमें आगे **'अनुमोदित सप्लायर'** कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति में जहॉ संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जाएगा, उसके उत्तराधिकारियों, निष्पादकों एवं प्रशासको को शामिल किया हुआ समझा जाएगा) तथा निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर तथा इस अभिव्यक्ति में, जंहा संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जाएगा, उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशियों को शामिल हुआ समझा जाएगा) द्वितीय पक्ष के बीच समपन्न किया गया।

3. चूंकि अनुमोदित सप्लायर, निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर को उसके मुख्यालय पर अथवा सम्पूर्ण राजस्थान में व्यवस्थापक राजकीय आयुर्वेद रसायनशाला अजमेर/जोधपुर/उदयपुर/भरतपुर को इसमें संलग्र की अनुसूची में दी गयी सभी वस्तुओं को बोली एवं बोली की शर्तो में दिए गए तरीके से तथा उक्त अनुसूची के कालम ..... में दी गयी दरों पर सप्लाई करने के लिए मिशन से सहमत हो गया है।

4. एवं चूंकि अनुमोदित सप्लायर ने रूपये की राशि निम्न प्रकार से जमा करायी हैः–

(i) नकद/बैंक ड्राफ्ट/चालान संख्या/बैंकर्स चैक संख्या ..... दिनांक ..... द्वारा,

(ii) विभागीय प्राधिकारियों के पास विधिवत् रहन रखकर डाकघर बचत बैंक पास बुक के रूप में,

(iii) अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों/डिफेंस सेविंग्स सर्टिफिकेट्स/किसान विकास पत्रों या किन्हीं अन्य स्क्रिप्ट/इन्स्टूमेंट्स के रूप में, यदि इन्हें संबंधित नियमों के अधीन (प्रमाण पत्र उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार किए जाएंगे) उक्त करार के निष्पादन के लिए प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखा जा सकता हो तथा उसे विभागीय प्राधिकारियों को औपचारिक रूप में हस्तांतरित कर दिया गया है।

4. अतः अब यह विलेख निम्नलिखित का साक्षी हैः–

(i) इसमें संलग्न अनुसूची में दी गयी दरों पर ..... के मार्फत निदेशालय आयुर्वेद द्वारा किए जाने वाले भुगतान के प्रतिफल में अनुमोदित सप्लायर ..... में तथा बोली एवं बोली की शर्तो में दिए गए तरीके से उक्त वस्तुओं की विधिवत् सप्लाई करेगा।

(ii) निविदा सूचना संख्या दिनांक ..... से संलग्न खुली बोली हेतु बोली एवं बोली की शर्तो में तथा इस करार पत्र से जुड़ी शर्तो को इस करार पत्र के भाग के रूप में लिया हुआ समझा जाएगा तथा ये इस करार पत्र को निष्पादित करने वाले पक्षकारों के लिए मान्य होगीं।

(iii) बोलीदाता से प्राप्त पत्र में संख्यायें ..... तथा निदेशालय आयुर्वेद द्वारा जारी किए गए पत्र के भाग के रूप में होगें।

4. (क) निदेशालय आयुर्वेद एतद् द्वारा स्वीकार करता है कि, यदि अनुमोदित सप्लायर उक्त वस्तुओं की उपर्युक्त तरीके से विधिवत् सप्लाई करेगा, उक्त शर्तो का पालन करेगा तथा उन्हें बनाए रखेगा, तो निदेशालय आयुर्वेद के माध्यम से अनुमोदित सप्लायर को उक्त शर्तो में दिए गए समय पर तथा तरीके से, प्रत्येक माल प्रेषण के लिए देय राशि का भुगतान करेगी या भुगतान करवाएगी।

(ख) भुगतान की विधि नीचे वर्णन किए गए अनुसार होगी :–

1. माल का भुगतान आपूर्ति की गई औषधियों की जांच रिपोर्ट मानकों के अनुरूप प्राप्त होने तथा इस हेतु गठित कमेटी द्वारा माल स्वीकार किये जाने पश्चात् किया जावेगा।
2. प्रक्रिया के अन्तर्गत भुगतान में विलम्ब होने पर किसी प्रकार का क्लेम मान्य नही होगा।
3. बिल के साथ प्रत्येक बैच की विर्निदिष्ट जांच पेरामीटर्स के अनुसार कराई गई लेबोरेट्री टेस्ट रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित करनी होगी।

5. माल की सुपुर्दगी सप्लाई देने हेतु आदेश की तारीख से नीचे अंकित अवधि के भीतर प्रारम्भ की जाकर पूर्ण की जाएगी।

क्रम संख्या	**मदों की संख्या**	**सुपुर्दगी अवधि**
1. आयुर्वेद औषधियों के किट	.....	**60 दिन**

6. (1) यदि परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि की गई हो तो, सप्लाई न किए गए सामानों के लिए निम्नलिखित प्रतिशतों के आधार पर वसूली की जाएगी :–

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए	2.5%
(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि से अनधिक के लिए	5%
(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि से अनधिक के लिए	7.5%
(घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई अवधि से अधिक के विलम्ब के लिए	10%

टिप्पणी :

(i) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम को छोड़ दिया जाएगा।

(ii) स्वीकार की गयी परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10% होगी।

(iii) यदि सप्लयार किसी प्रकार की बाधा के घटित हो जाने के कारण संविदान्तर्गत सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करने के लिए कहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा, जिसने वो सप्लाई आदेश दिया था, किन्तु यह आवेदन बाधा के घटित होने पर तत्काल उसी समय दिया जाएगा, न कि सप्लाई को पूर्ण करने की निर्धारित तारीख के बाद दिया जाएगा।

(2) यदि माल की सप्लाई में विलम्ब ऐसे विघ्न के कारण हुआ जो निविदाता के नियत्रंण के परे हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्वि परिनिर्धारित क्षति के साथ या उसके बिना कर दी जाएगी।

7. करार से उत्पन्न होने वाले समस्त विवाद तथा इस करार पत्र के निर्वचन या व्याख्या से संबंधित सभी प्रश्न निदेशालय आयुर्वेद द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे तथा मिशन का निर्णय अन्तिम होगा।

इसकी साक्षी में इसमें पक्षकारों ने आज दिनांक ..... माह ..... सन् ..... को अपने हस्ताक्षर किए।

अनुमोदित सप्लायर के हस्ताक्षर

दिनांक :

साक्षी सं. 1

साक्षी सं. 2

निदेशालय आयुर्वेद के लिए एवं उनकी ओर से

पदनाम

दिनांक :

साक्षी सं. 1

साक्षी सं. 2

.

संलग्नक–द

तकनीकी बोली प्रपत्र का बिन्दु संख्या 7(4)

घोषणा–पत्र

(संबंधित आदेशों की प्रतियां संलग्न करें)

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि, हमारी फर्म का निर्माण परिसर डब्ल्यू.एच.ओ.–जी.एम.पी. अधिस्वीकृत है/ हमारी फर्म के आपूर्ति किये जाने वाले निम्नांकित औषध उत्पाद आयुष प्रिमियम मार्क प्राप्त है एवं इन्ही की वित्तीय बोली प्रस्तुत की गई है। इन उत्पादों / संस्थान का डब्ल्यू.एच.ओ.–जी.एम.पी./आयुष प्रिमियम मार्क होने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न हैः–

क्र.सं.	उत्पाद का नाम	पैकिंग यूनिट	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की दिनांक
1			
2			

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो निदेशक द्वारा मेरे/हमारे विरूद्व नियमानुसार किसी भी प्रकार की कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान :– **बोलीदाता के हस्ताक्षर**

दिनांक :–

.

संलग्नक–ध

तकनीकी बोली प्रपत्र का बिन्दु संख्या 7(19)

घोषणा–पत्र

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि, हमारी फर्म में आज दिनांक ..... को निर्मित आयुर्वेदिक औषधि का स्टॉक निम्नानुसार है।

क्र.सं.	औषधि का नाम	पैकिंग यूनिट	औषधि की उपलब्ध मात्रा
1			
2			
3			
4			

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो निदेशक द्वारा मेरे/हमारे विरूद्व नियमानुसार किसी भी प्रकार की कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान :– **बोलीदाता के हस्ताक्षर**

दिनांक :–

किट मात्रा (अनुमानित) का विवरण

क्र.स.	वित्तीय वर्ष	औषधालयों की संख्या	चिकित्सालयों की संख्या	कुल संख्या
	2016–17 पूरक	3871	118	3989
	2017–18	4456	121	4577
	2017–18 पूरक	4456	121	4577